वेदन से, जो 6 दिसम्बर, 1967 को सभा में पेश किया गया था सहमत है।"

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House agrees with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 6th December, 1967."

The motion was adopted.

15·33½ hrs.

RESOLUTION *Re*: CROSSING OF FLOOR BY LEGISLATORS—*contd.*

MR. DEPUTY -SPEAKER : The House will now take up further discussion of the following resolution moved by Shri P. Venkatasubbaiah on the 11th August, 1967 namely :—

"This House is of opinion that a high-level Committee consisting of representatives of political parties and constitutional experts be set up immediately by Government to consider the problem of legislators changing their allegiance from one party to another and their frequent crossing of the floor in all its aspects and recommends to the Government the evolving of a special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation to arrest this growing phenomenon which is assuming alarming proportions so that the country can function on sound and healthy lines of parliamentary democracy."

The time allotted for this resolution was 2 hours.

We have already exhausted 2 hours and 56 minutes on this.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : We wanted more time for this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall have to decide and set some time-limit to this discussion.

SHRI S. M. BANERJEE : We shall have 1 hour more.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shall we have 1 hour more ?

SHRI P. VANKATASUBBAIAH : (Nandyal) : We shall have 1 hour, so that by 5 p.m. we shall be able to finish this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is it agreed then that we shall have 1 hour more for this ?

HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Shri S. M. Banerjee may resume his speech. But let him be very brief.

SHRI S. M. BANERJEE : I had just started.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has taken 2 minutes already. He can have three more minutes now.

श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली मर्तबा कह रहा था कि माननीय सदस्य श्री वेंकटासुब्बया यह जो प्रस्ताव सदन में लाये हैं उस के लिए मैं उन को बधाई देता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो संशोधन मेरे परम मित्र श्री मधु लिमये और मैंने दोनों न मिल कर प्रस्तुत किए हैं वह संशोधन और मान लिया जाय तो कोई कानूनी अड़चन या संवैधानिक अड़चन उस के सामने प्रस्तुत नहीं होगी। यह दल-बदल या फलोर-क्रासिंग की बात उपाध्यक्ष महोदय, आई कैसे ? आज आप देख रहे हैं कि सारे देश के सामने एक यह मसला बन कर खड़ा हो गया है। आखिर एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जो जा रहा है चाहे वह असेम्बली का मेम्बर हो चाहे पार्लियामेन्ट का मेम्बर हो उस के ऐसा करने से देश में जो प्रजातांत्रिक उसूलों के आधार पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, गवर्नमेंट जो हमारे देश में है उस में काफी झटका ला रहा है। अभी कल या परसों सवालों के दौरान में जब मणिपुर की बात हो रही थी तो हमारे चव्हाण साहब ने कहा कि वह इस चीज से सहमत नहीं हैं ऐसा हो। लेकिन उन के कहने के बावजूद भी आज भी और आप देखें चाहे वह हरयाना हो या पंजाब, या बंगाल उस में वह चीजें चल रही हैं। खास कर उपाध्यक्ष महोदय, आप आज देखें बंगाल में क्या हो रहा है ? दल-बदल की मनोभावना को आखिर आप कैसे बदल सकते हैं ?

[श्री स० मो० बनर्जी]

15-37 hrs.

[SHRI C. K. BHATTACHARYA *in the chair.*]

सभापति महोदय, वहां जो मुख्य मंत्री हैं उन के साथ केवल 17 व्यक्ति हैं। आप सोच सकते हैं कि बंगाल जैसी एक असेम्बली जिस में कि 200 से ज्यादा सदस्य हैं उस में एक व्यक्ति जिस के साथ में केवल 17 मेम्बर हों वह आ कर मुख्य मन्त्री बन जाय तो सरकार कैसे चलेगी? और यही बात जब कि भूत-पूर्व मुख्य मन्त्री श्री अजय मुखर्जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा समझानें की कोशिश कर रहे थे सदस्यों को कि आखिर वह जनतंत्र की अवहेलना न करें और अपने दल में वापस आ जायें तो उसी वक्त यह सोचा गया कि राज्यपाल हस्तक्षेप करें और एक चुनी हुई सरकार को खत्म कर दें। तो मेरा कहना केवल इतना है कि आज यह मसला केवल किसी पार्टी का नहीं है। मुख्य सचेतकों की कान्फ्रेंस जो हुई थी शिमला में जहां पर इस सवाल को काफी जोर से उठाया गया था उस में मैंने, मेरे साथी कंवर लाल जी ने, श्री पटेल जी ने और जितने भी सचेतक की हैसियत से गाए थे, सब ने नम्र निवेदन किया था और आज मैं दोबारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मन्त्री साहिबा या गृह-मन्त्री जी ऐसे कान्फ्रेंस का आयोजन करें कि जिस में तमाम राजनीतिक दलों के लोग हाजिर हों और उसमें हम कोई आचार-संहिता, कोड आफ कान्डक्ट निर्धारित करें वरना यह चलने वाला नहीं है। आज मजाक के लिए भले ही कोई आया राम बीस हजार, गया राम 40 हजार लेकिन उससे चलनें वाला नहीं है क्योंकि आज सारे देश के सामने यह सवाल है कि आखिर इस बीमारी को जो कि एक नासूर की शक्ल ले चुका है कौन रोक सकता है? यह वही दल रोक सकता है जिस के हाथ में केन्द्र की सत्ता है, जो सब से पुरानी पार्टी है और वह अगर इन आदर्शों के आधार पर चले तो मैं यह निवेदन करूंगा—आप से और मेरा पूरा विश्वास है कि यह चीजें रुक सकती हैं। . . . (**व्यवधान**)

तो मैं कह रहा था कि यह जो सवाल आज सारे देश के सामने है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने हो, चाहे बिहार की सरकार के सामने हो, मैं शासक दल या कांग्रेस दल से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब बंगाल में यूनाईटेड फ्रंट की सरकार नहीं है, चाहे गलत हो या सही हो, लोग मानें या न मानें, बी० पी० घोष वहां पर मुख्य मन्त्री हैं, चाहे कुछ दिनों के लिए हों, अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या वाकई जिसके साथ 17 आदमी हों उनका समर्थन कर के इस देश की पुरानी प्रणाली या परम्परा के ऊपर उन्होंनें कुठाराघात किया है या नहीं किया है। यह बात अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि बी०पी० मंडल जैसे व्यक्तियों को जो उन्होंनें बिहार में समर्थन करनें का वायदा किया है, जिसके फलस्वरूप वहां पर भी वही परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, जो बंगाल में हुई है—क्या यह उचित है। वहां पर नये गवर्नर साहब गये हैं, उन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उन को कोई माननें के लिये वहां पर तैयार नहीं है, लेकिन वह जरूर गवर्नर हैं—बेमुल्की राजा-नवाब मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वह जायें, गवर्नर हाउस में रहें, लेकिन वहां पर कोशिश हो रही है कि श्री अनन्तशयनम् आंयगर ने जो फैसला दिया था, जो उन्होंनें माना था कि जनवरी में वहां की असेम्बली बुलाई जायगी, उस असेम्बली को जल्दी बुलानें की कोशिश हो रही है, वही हथियार जिससे बंगाल की 9 महीनें की मिनिस्ट्री की हत्या की गई, उसी हथियार को बिहार में भी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। मैं गृह-मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई कांग्रेस की मदद बी० पी० मंडल को मिलेगी, जैसी पी० सी० घोष को मिली है, क्या वाकई वह सरकार चला सकेंगे? यदि हम दो मिनट के लिये भूल जायें कि हम किसी पार्टी या दल में हैं तो क्या दल बदलते हुए प्रजातान्त्रिक

उसूलों के आधार पर जो सरकारें चला रहे हैं, दल बदलते बदलते कहीं हम दल-दल में तो नहीं घुसते जा रहे हैं। इसलिये मैं उन से पूछना चाहता हूं कि अगर वह इस प्रस्ताव को मान लें, संशोधन के साथ, तो क्या देश की उन्नति होगी। या नहीं होगी।

आज यह सवाल नहीं है कि कौन किस दल में है, लेकिन जो हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर होगी और मैं दोबारा कहता हूं कि जिस दिन उन्होंनें मेरे परम मित्र श्री अशोक मेहता को छाती से लगा लिया था, उसी दिन उन्होंने बीज बोया था इस चीज का और उन को मालूम होना चाहिये था कि देश में यह होने वाला है। जब उन के दल के पास लोग चले जा रहे थे, तब तक तो वह मौरल था, आज अचानक यह चीज— इम्मोरल हो गई क्योंकि अब उन के पास से लोग चले जा रहे थे। इसलिये, सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन अमेन्डेड फौर्म में, यदि हमारे अमेण्डमेंट को वह मान लें, तब मैं इसका समर्थन करता हूं और उन से निवेदन करूंगा कि वे अब ऐसे आदमियों को न लें।

एक चीज और कह कर मैं खामोश हो जाऊंगा—मुझे मालूम हुआ है कि हमारे इसी सदन के एक सदस्य, जिन्होंनें काफी हद तक कोशिश की थी कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, हमारी यू० एफ० गवर्नमेंट न रहे, —प्रो० हुमायू कबीर, उन को फिर से सरकार में लेने की बात चल रही है, उन को शायद फिर से कैबिनेंट रैंक दिया जा रहा है····

एक माननीय सदस्य : कौन सी कैबिनेट में ?

श्री स० मो० बनर्जी : केन्द्रीय सरकार में, केन्द्रीय मंत्रीमंडल में उनको इन्कलूड कर लिया जाय। लेकिन अब सुना है कि चूंकि उन्होंने मंत्री मंडल में लिये जाने लायक काम नहीं किया है, वह तो गवर्नर ने किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने चूंकि इतना बड़ा काम किया है कि यू० एफ० मिनिस्ट्री खत्म कर दी है, इसलिये अब उन को अलीगढ़ विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया जा रहा है—इस तरह से आप उन का डिफेक्शन करायेंगे, तो कराइये, सारा देश मानें, चाहे वाइस चांसलर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हों, लेकिन बंगाल की जनता यह कहेगी कि बंगाल में मीर जाफ़र के बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो प्रो० कबीर है, और वह इस को हमेशा कहेगी।

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad) : Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose this motion. There are two kinds of defection.

One, which was mentioned by Mr. Banerjee —

SHRI S. M. BANERJEE : One is defection; the other is infection.

MR. CHAIRMAN : Let there be no disaffection.

SHRI BAKAR ALI MIRZA :—where some offer is made—of Ministership or any other office,—and the person leaves his party and crosses over. Another is, an offer is made and he crosses back again. This is a pure and simple case of corruption. But there are other features of defection which are much more important, and in the present atmosphere of uncertainty, instability, in certain States, we should not lose sight of that. That is my plea. That is, if there is some measure proposed by Government about which I differ very strongly, I must have the right to say that I resign from this party and stay out as an independent or. join any other party. For example, take devaluation. Nowhere was it there, in any manifesto of any party. The measure is brought before the House, and I feel strongly that is going to harm the country; then I must have the right to leave the party and stay out. There have been a number of defections like that.

The name of Churchill was mentioned. Why go so far ? Take Acharya Kripalani. Is that a case of defection ? He left the Congress party and joined the PSP; he then left the PSP and came back; he became an independent. The only party from which he did not disaffect is Sucheta party!

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : It is not fair. Mahatma Gandhi wanted, the Congress to be dissolved; do not forget that. They have been untrue to Mahatma Gandhi.

SHRI BAKAR ALI MIRZA : It is much more true in respect of the Jan Sangh party than the Congress party. They are going against the very principles, the very foundations that were laid by Mahatma Gandhi. Let us not bring Mahatma Gandhi into this.

SHRI S. M. BANERJEE : He is talking of history.

SHRI BAKAR ALI MIRZA : I am also talking of history. There were Mahatma Gandhi's policies and programmes; they have not also followed them. Anyway, the Congress is blamed for encouraging defections. I ask, what about those gentlemen on the other side ? They are all defectors from the Congress. (*Interruption*) They may give different meanings for defection. Defection means, you join a party and for some reason you resign from the party, having a strong reason to resing from that party. It is not only to get some office; you may from another party. But it is defection all the same. This defection should not be encouraged, and I cannot conceive of any measure which the Government of this country is going to propose which would remove one kind of defection and encourage the other. I am against this proposal.

Something was quoted from Mahabharata. I also know a little about Mahabharata. Was it not in the battle of Kurukshetra that the first attempt was made for defection ? When Karna was asked to join, the Pandavas, was it not Kunti who revealed to Karna that she was his mother and pleaded ? Though Karna's heart was breaking, he did not change sides. I maintain that the very fact of asking for defection there was right. If Karna had joined the Pandavas that also was right. If he did not, that was also right and for that reason, Karna has got a place as a lovable character in the whole of Mahabharata. So, defection itself is not to be condemned. Why one defects is important. For that, I do not think, you can devise any machinery by which you can solve this question.

Suggestions were being made that one must resign and go. Suppose, I resign on the question of devaluation, you say, "you go and get the verdict of your constituency". I go back and get the verdict of my constituency in my favour. That means the opinion in my constituency has changed. Meanwhile, the opinions do not change constituency-wise. Opinions must have changed in the country also. If I come back, I have a right of ask the Government, it is for you to prove that the country is also with you; we have given the proof that there has been a change. So this question of recall and resignations will not solve the problem. The problem arises because we are in a stage where we have not formed political parties distinctly. For example, in England, there are constituencies like labour constituencies and conservative constituencies. There is a floating population and that really affects the change. When a number of parties join together and when Governments are formed with small splinter groups there is instability in its very composition. Instability was bound to come and when it comes there is a hue and cry. Therefore, I suggest that some time must be given so that the political institutions in our country are more stabilised and we should not rush into having some committee to make some recommendation.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, श्री वेंकटासुब्बया जो इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं वह इस सदन के बहुत पुराने और अनुभवी सदस्यों में से हैं। मुझे प्रसन्नता होती यदि यह प्रस्ताव श्री वेंकटासुब्बया ने 1967 के चुनावों से पहले इस सदन में लाया होता। क्योंकि उस समय देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल थे और साथ ही साथ उस समय तक दल परिवर्तन की प्रवृत्ति पर कांग्रेस वालों को बहुत चिन्ता भी नहीं हुई थी। भले ही किन्हीं लोगों ने दल परिवर्तन करके चाहे वह मिनिस्टर्स बनें हों चाहे वह राज्यपाल बनें हों अथवा और दूसरे किसी प्रकार के पदों पर वह बैठाये गये हों। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव आने से यह संदेह होना स्वाभाविक है कि आज इनको 17 वर्ष के

बाद यह चिन्ता क्यों उत्पन्न हुई कि यह दल परिवर्तन की प्रवृत्ति बड़ी घातक है और इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। अगर सिद्धान्ततः यह बात सही थी तो उनके हाथ में जब सारे राज्यों का शासन था और केन्द्र में भी यह भारी बहुमत में थे उस समय यह विधान का भी निर्माण कर सकते थे और उसमें कुछ नई परम्पराओं को प्रारम्भ भी कर सकते थे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आज अपने हाथ से खिसकते हुए शासन को देख कर उनके मस्तिष्क में चिन्ता है कि अब जो दूसरे दलों में लोग अधिक मात्रा में जा रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि एक दिन 9 राज्यों की तरह से पूरे देश से भी हमारी समाप्ति का अध्याय न लिख दिया जाय इसलिए मेरा कहना यह है कि इन सारी बातों को लाने के पीछे आप की भावना चाहे कितनी ही शुद्ध क्यों न हो लेकिन लोगों को जैसा मैंने कहा उस तरह से आप के लिए सोचना स्वाभाविक है।

दूसरी सब से बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति इस देश में रोकी जा सकती थी प्रारम्भ में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और दूसरे दलों से लोग निकल-निकलकर सत्तारूढ़ दल में जा रहे थे। उस समय अपनी महत्वाकांक्षाओं में अथवा अन्य किसी कारण से प्रेरित न होकर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऊपर ही यह प्रतिबंध लगाया होता क्योंकि वह सिद्धान्तहीनता थी और यह निश्चय कर लिया होता कि इस प्रकार के लोग जोकि दूसरे दलों के टिकटों पर चुन कर आये हैं और अवसरवादिता से प्रेरित होकर हमारी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं ऐसे सिद्धान्तहीन और अवसरवादी व्यक्तियों को हम अपनी पार्टी में स्वीकार नहीं करेंगे तो भी एक आदर्श परम्परा हो सकती थी। उस स्थिति में आज इस कांग्रेस पार्टी की ओर से आये हुए इस प्रस्ताव का देश में बहुत स्वागत होता।

सदस्य जो दल परिवर्तन करते हैं विधान सभाओं में या संसद में वह दो प्रकार के हैं। एक सदस्य वह जो पार्टियों के टिकट पर चुन कर आते हैं और एक मेरे जैसे सदस्य हैं जो कि किसी पार्टी के टिकट पर चुन कर नहीं आते बल्कि अपनी सेवाओं को अपनी पार्टी बनाते हैं और निर्दलीय चुन कर आते हैं। हमारे संविधान के एक बहुत बड़े ज्ञाता नें श्री के० सन्तानम ने दल परिवर्तन की प्रवृत्ति पर एक लेख लिखा है। मैंने उसे बड़े गौर से देखा है। श्री के० सन्तानम ने अपने लेख में कहा है कि यह अधिकार केवल उन सदस्यों को तो दिया जा सकता है जो किसी दल के आधार पर चुन कर नहीं आते। लेकिन मैं परम्परागत दृष्टि से श्री के० सन्तानम के इस मत से सहमत नहीं हूं क्योंकि जो सदस्य जनता से निर्दलीय आधार पर चुन कर आते हैं और जनता ने जिन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें विधान सभा या संसद में भेजा है तो उस प्रतिनिधि का यह नैतिक दायित्व है कि वह जब तक उस जनता के प्रतिनिधि के रूप में है तो वह उसी रूप में रहे जिस रूप में कि वह वहां से निर्वाचित हुआ था। अगर उसे अपने स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो उसे पहले सदस्यता से त्यागपत्र देकर दुबारा जनता के पास जाकर विश्वास प्राप्त करना चाहिए। हरियाणे के पहले शिक्षा मंत्री श्री हरद्वारी लाल से सिद्धान्ततः मेरा कई बातों में विरोध है लेकिन मैं श्री हरद्वारी लाल के उस क़दम की सराहना करता हूं कि जब उन्होंने दल परिवर्तन किया तो दल परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने त्यागपत्र भी दिया, फिर चुनाव लड़ा और विजयी होने के बाद उन्होंनें अपना स्थान ग्रहण किया। इस तरह की परम्परा हमारे देश में प्रारम्भ होनी चाहिए।

जहां तक दल परिवर्तन के सम्बन्ध में क़ानून बनाने का प्रश्न है वह तो जो हम से भी पुराने जनतंत्र हैं, या जहां भी इस तरह की जनतांत्रिक प्रणालियां हैं, उन देशों में भी इस प्रकार का क़ानून नहीं है सिवाय स्विटजरलैंड को छोड़ कर। पर वह क़ानून भी इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

का क़ानून बनाने के सम्बन्ध में श्री वेंकटासुब्बया ने अपनें इस प्रस्ताव के शब्दों को रखा है। मेरा अपना कहना इस प्रकार का है जो कि मैं जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि कभी कभी इस प्रकार की घटनायें हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी यह राज भाषा संशोधन विधेयक चल रहा है। राज भाषा संशोधन विधेयक पर अगर कोई सदस्य हिन्दी भाषी राज्य से चुन कर आया है और वह जानता है कि कांग्रेस पार्टी टिकिट पर मैं चुन कर आया हूं कांग्रेस पार्टी इस सम्बन्ध में गलत निर्णय लेने जा रही है जो हमारे मतदाताओं की भावना के सर्वथा विरुद्ध है। ऐसे अवसर पर वह कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर विरोधी दल में आकर बैठता है तो आप बतलाइये उसके सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति क्या होगी ? इसलिए मैं चाहता हूं कि इस को क़ानून न बनाया जाय बल्कि इसके लिए कुछ परम्पराएं निर्धारित की जानी चाहिएं। जो इस देश की पार्टियां हैं वह तै करें कोई व्यक्ति निर्दलीय चुन कर आया है या किसी अन्य पार्टी के टिकट पर चुन कर आया है अगर वह किसी निहित स्वार्थ को लेकर किसी अन्य पार्टी में, या सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उस पार्टी को इस प्रकार की परम्परा निर्धारित करनी चाहिए कि वह उसको कहें कि आप फिर से चुनाव के दंगल में जाएं, जनता के सामने फिर आप जायें और वहां से फिर मतदान के द्वारा निर्वाचित होकर हमारे टिकट पर आयें तभी आप हमारी पार्टी में शामिल होनें का अधिकार रखते हैं। यह अधिकार वैधानिक रूप से न दिया जाय बल्कि यह अधिकार परम्पराओं के रूप में दिया जाये। बजाय इसके कि सरकार कानून बना कर उसके ऊपर रोक लगाये बेहतर यह होगा कि यह पार्टियां जो आज इस दल बदल की प्रवृत्ति के कारण चिंतित हैं वह स्वयं इसके लिए कुछ अपने लिए नैतिक बंधन बनायें। वह कुछ इसके लिए आदर्श परम्परा स्थापित कर सकें तो वह अधिक उपयुक्त होगी। अपेक्षाकृत इसके कि आज जैसे श्री वेंकटासुब्बया ने इस प्रस्ताव के शब्दों को रखा है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक के प्रस्ताव की भावना का आदर करते हुए जो वह प्रस्ताव लाये हैं उसका मैं विरोध करता हूं।

16 hrs.

श्री हेमराज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव श्री वेंकटासुब्बया नें रक्खा है मै उसका समर्थन करनें के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक डिफैक्शंस का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह डिफैक्शंस एलैक्शन के बाद ही नहीं होते हैं, वह एलैक्शन से पहले भी चलते हैं। बहुत सारे भाई कांग्रेस पार्टी को बिलौंग करते हैं लेकिन अगर एक पार्टी से टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी की तरफ़ झुक जाते हैं और दूसरी पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं। मैं समझता हूं कि यह डिफैक्शंस का जो मामला है वह एलैक्शन के बाद ही नहीं चलता है बल्कि वह एलैक्शन से पहले चल पड़ता है।

जहां तक इस डिफैक्शन की बीमारी का सवाल है पहले भी इस डिफैक्शन का जिक्र किया गया है। यह डिफैक्शन अगर कोई उसूली बिना पर हो तो समझा जा सकता है लेकिन इस एलैक्शन के बाद जिस तरीक़े से उस दिन हमारे होम मिनिस्टर साहब ने आज के आयाराम और गयाराम का जिक्र करते हुए बतलाया था कि यह डिफैक्शन आयाराम और गयाराम का बन गया है। वह कोई उसूल या बेसिस पर नहीं चल रहा है। यह डिफैक्शन महज इस वास्ते चल रहा है कि कोई पार्टी उनको लोव्स दे देती है, प्रलोभन दे देती है, तो इस तरह के अवसरवादी लोग उस पार्टी की तरफ़ चले जाते हैं और दूसरी पार्टी उससे ज्यादा प्रलोभन देती है तो वह पहली पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। यह डिफैक्शन की बीमारी आज की राजनीति में इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आज पब्लिक को सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके कार्यकर्त्ताओं से एक प्रकार की चिढ़ सी

हो गयी है और उन पर से उनका एक तरह से विश्वास सा उठ गया है क्योंकि देखनें में यह आ रहा है कि जिन लोगों को एक, एक लाख और दस, दस लाख आदमियों नें अपनें वोट देकर लेजिस्लेचर में भेजा है आज वह रुपयों के लिए बिकने शुरू हो गये हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जनता की आस्था लोकतंत्र पर नहीं रह सकेगी और देश के अन्दर हम इस डेमोक्रेसी को क़ायम नहीं रख सकेंगे। इस तरीक़े से तो कोई भी सरकार हो वह कभी भी मुस्तकिल तौर पर नहीं चल सकती है जैसे कि आपनें देखा है कि हरियाणे की सरकार वह मुस्तकिल तौर पर नहीं चल सकी क्योंकि हर रोज़ वहां राजनीति पार्टियों की सदस्य संख्या घटती और बढ़ती रहती है और यह पता नहीं रहता कि विधान सभा में अमुक सदस्य जो सुबह एक पार्टी में है वह शाम तक वहीं पर रह सकेगा या नहीं या शाम को दल बदल कर लेगा। आज यह जो बीमारी है उसका इलाज ढूंढने के लिए मैं समझता हूं कि हमनें एक उपाय इस संकल्प द्वारा एक कमेटी का रक्खा है। प्रस्तावक महोदय कहते हैं कि यह आज जो डिफैक्शंस हो रहे हैं इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बैठा दी जाय जोकि इस बात को देखे कि इन डिफैक्शंस को किस तरीक़े से रोका जा सकता है और मैं समझता हूं सभी को इस प्रस्ताव का स्वागत व समर्थन करना चाहिए। अगर इस समय इन डिफैक्शंस को नहीं रोका गया तो उसका नतीजा यह हो सकता है कि हमारी जनता की अभी जो प्रजातांत्रिक आस्था में भावना व श्रद्धा है वह अधिक दिन क़ायम न रह पाये और इसलिए मैं समझता हूं कि यह डिफैक्शन का सिलसिला प्रजातंत्र के लिए एक गम्भीर खतरा बनता जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उन्होंनें जो संकल्प रखा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए।

सवाल यह है कि इसके लिए कानून बनाया जाए या पार्टियां इसके लिए सहमत हों। जहां तक पार्टियों का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि सात आठ राज्यों में हमारा कांग्रेस का राज नहीं रहा है लेकिन उसके बावजूद जहां-जहां युनाइटेड फ्रंट बनें वहां पर उन लोगों ने बहुमत प्राप्त करनें के लिए कांग्रेस वालों को प्रलोभन दिये फिर चाहे वह मध्य प्रदेश हो या कोई और प्रान्त हो। प्रलोभन दे कर उन्होंने सदस्यों को अपनी ओर खींचा। यहां पर यह भी कहा गया है कि पहले इस तरह के संकल्प को क्यों नहीं लाया गया। मैं कहता हूं कि जिस वक्त बीमारी अपने पूरे रंग में दिखाई दे उसी वक्त उसका इलाज हो सकता है। फोड़े को चीरा उसी वक्त दिया जा सकता है जब पीप भर जाए। कच्चे को दिया जाएगा तो वह दुरुस्त नहीं होगा। आज इतनी पीप भर गई है कि अगर चीरा नहीं दिया जाएगा तो यह देश के लिए घातक हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : कैंसर है।

श्री हमराज : कैंसर की सूरत हो गई है और कैंसर ठीक हो सकता है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : शुरू में ही करना चाहिये था।

श्री हेम राज : कैंसर उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां इसको चीरने की आवश्यकता है अगर सभी पार्टियों ने मिल कर इसका कोई इलाज नहीं किया तो इससे हमारा जो प्रजातंत्र है उसको ही खतरा हो सकता है। इसलिए मैं जितनी पार्टियां हैं, उनके लीडरों से कहूंगा कि वे यहां पर उनके जो शिरोमणि हैं और उनको गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये। कल शायद एक सवाल के जवाब में हमारे होम मिनिस्टर साहब नें कहा भी था कि सारी पार्टियों के जो लीडर हैं अगर वे इस बात के लिए रज़ामन्द हों तो वह पहल करने के लिए तैयार हैं। चूंकि रूलिंग पार्टी की तरफ से तजवीज़ आ रही है इस वास्ते अगर सभी पार्टियों के लीडर रज़ामन्द हों तो इसके बारे में सोच विचार किया जा सकता है, मिल बैठ कर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। उसमें यह भी देखा जा सकता है कि कोई कानून बनाने की आवश्यकता है या नहीं है। जिस तरह से

[श्री हेमराज]

स्विटजरलैण्ड में रिकाल का कानून है अगर उस तरह का कानून यहांभी बन सकता है तो अच्छा होगा, तो वह भी देश के लिए फायदेमन्द साबित हो सकता है। दोनों ही उपाय इसके लिए हो सकते हैं। श्री वेंकटासुब्बया का जो रेजोल्यूशन है वह आखिरी शब्द नहीं है। वह तो एक तजबीज रख रहे हैं हाउस के सामनें कि जो बीमारी है इसको दूर करनें के लिए कोई उपाय ढूंढा जाना चाहिए। अगर कोई उपाय निकल आए तो बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक ऐन दुरुस्त मौके पर यह प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है। इन शब्दों के साथ मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : सभापति महोदय, यह सवाल बड़ा ही पेचीदा है। देखने में आया है कि कभी-कभी व्यक्ति नहीं बदलता है लेकिन पार्टी बदल जाती है। हम सब लोग कांग्रेस में थे। लिमेय साहब भी कांग्रेस में थे। वाजपेयी जी भी कांग्रेस में थे—

गृह कार्य मंत्री श्री यशवन्त राव चह्वाण : वाजपेयी जी भी थे ?

श्री मधु लिमये : जेल गए हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी : बहुत से हम में से कांग्रेस में थे। कांग्रेस हम लोगों ने छोड़ी। हम लोगों ने छोड़ी या कांग्रेस वालों नें कांग्रेस को छोड़ा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस वालों नें कांग्रेस को छोड़ दिया, इसलिए हम लोगों नें छोड़ दिया। एक और बात भी है। कोई भी बड़ा आदमी मर जाए तो उसके बच्चे को या उसकी विधवा को ले आते हैं और वह बच्चा और विधवा जो है वह किसी से भी पराजित नहीं हो सकता है। बड़े बड़े धुरंधर सामने खड़े हो जायें तो वे भी खत्म हो जाते हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : बच्ची भी आ जाती है।

श्री जी० भा० कृपालानी : बच्चे में बच्ची भी आ गई।

ऐसी हालत में अगर रिकाल का कायदा बनाया भी जाए तो रिकाल करने के बाद फिर वह विधवा आ जाएगी। मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में कांग्रेस में खाली विधवायें और बच्चे-बच्चियां और आर्फन ही रह जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : कांग्रेस अनाथालय हो जाएगा।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : बड़ा अनाथालय तो उधर खुला हुआ है।

श्री जी०भा० कृपालानी : हमारे ऊपर हंसी करें, आप क्यों उसमें पड़ते हैं। इलैक्शन होते कैसे हैं। आप जानते हैं मैं हमेशा बाई-इलैक्शन में आता हूं। जब मैं अमरोहा से खड़ा हुआ था तब चौबीस मिनिस्टर हमेशा वहां मौजूद रहते थे हमारी मदद के लिए। चव्हाण साहब भी आए थे। चव्हाण साहब उन दिनों डिफेंस मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर जो सारे देश की डिफेंस करता है, हमारी भी और कांग्रेस वालों की भी, उसको इसमें आने की क्या जरूरत थी। मुझे माफ करें जो मैं कहनें जा रहा हूं उसके लिए। वहां एक जात थी जिस जात वालों का नाम चौहान था। राजपूतों की वह जात है। वहां बताया गया कि चव्हाण साहब भी उसी जात के हैं।

सब जितनी जगहें थी, जहां-जहां मीटिगें हो सकती थीं, जहां-जहां कोई जा कर रह सकता था, जैसे ट्रेवलर्ज बंगलो थे सब के सब उन्होंनें ले लिये थे। जीपें जो सरकार के मातहत रहती हैं वे भी सब ले ली थीं। हम क्या करें। चौबीस-चौबीस जहां मिनिस्टर मौजूद हों और एक-एक मिनिस्टर एक-एक जगह रखा जाता था, गैस्ट हाउस वगैरह में तो इलैक्शन आर्गेनाइज भी वही करता था और सब काम वही करते थे। यह तो एक इलैक्शन की बात हुई। दूसरी बाई इलैक्शन की बात मैं बताता हूं। वह अभी हुई है गुना में।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : (खारगोन) : रायपुर में कोई नहीं गया था।

श्री जी० भा० कृपलानी : अपनी जान बचायें तो वहां आएं।

रायपुर मैं गया। वहां मुझ से कहा गया कि तुम्हारा सिम्बल क्या है। मुझे बताया गया कि वहां खाली दो सिम्बल ही चलते हैं, एक दीवा चलता है और एक बैल चलते हैं। मेरे पास बैल भी नहीं था और दीवे का जहां तक सम्बन्ध है सारा हिन्दुस्तान अंधेरे में पड़ा है तो मैं दीवा कहां से लाता। मुझे बताया गया कि यहां के वोट आपको नहीं मिलेंगे। मुझे वोट मिले भी नहीं क्योंकि खाली सिम्बल जानते थे और कुछ जानते नहीं थे। दे डू नाट नो एनी-थिंग। महात्मा गांधी कहा करते थे, वी मस्ट एजुकेट अवर मास्टर्ज। वोटर्ज को एजुकेशन तो कोई मिला ही नहीं। वहां पर हमारी मीटिंग्ज में लाठियां भी चलती थीं। एक आदमी है उसका नाम है, मि० मिश्र। वह मिश्र नहीं थे, वह तो समझिये राक्षस हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे कौन हटा सकता है? मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को बनाया। वह प्राइम मिनिस्टर को बनाने वाले थे, किंग मेकर थे ··

एक माननीय सदस्य : क्वीन मेकर।

श्री जी० भा० कृपलानी : खैर, आप ही सही हैं, क्वीन मेकर थे। तो उसको कौन कुछ कर सकता था? हमारी मीटिंग में बलवा करा देता था। हमारा सेक्रेटरी गया था उसकी बांह तोड़ दी। ··· (**व्यवधान**) ··· शुक्ला ने भी बड़ी मेहरबानी की।

फिर गुना में क्या हुआ? वहां एक-एक कान्स्टीट्यूएंसी में दो-दो मिनिस्टर रहते थे और सारा काम करते थे। क्या हम समझ सकते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके हाथ में नहीं होगा? मिनिस्टर जो जा कर बैठेगा तो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? मैंने अपने सामने देखा, कोई गया, कहा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पोलिंग आफिसर प्रोटेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखा जनरल एलेक्शन में दो पेपर देने थे। कहीं-कहीं जगह एक ही देते थे और कई-कई जगह और ऐसी बातें करते थे। प्रोटेस्ट वह नहीं लेते थे। मैं खुद मौजूद हूं। मैं कहता हूं कि भाई, लिख लो हमारा। लेकिन वह कहता है कि हमको हुक्म है, लिखनें का हमें कोई अख्तियार ही नहीं है और जो हो रहा है, वह हो रहा है। ऐसे-ऐसे एलेक्शन होते हैं। फिर एलेक्शन में जो छोटी जाति के होते हैं, माफ कीजिएगा, उनको खूब शराब पिलायी जायगी ···

श्री शशि भूषण बाजपेयी : दादा, आपकी बेटी सुभद्रा जोशी का सिर तोड़ दिया गया।

श्री जी० भा० कृपलानी : ठीक है, यह भी ठीक है। ऐसे ही न एलेक्शन होता है कि उस बेचारी का सिर तोड़ दिया किसी ने? ऐसा चलता है तो फिर कैसे होगा? हम आपकी बात मानते हैं कि सिर तोड़ दिया जो हमारे तरफदार थे तो ऐसे ऐलेक्शन में फिर रिकाल क्या होगा? आप सच कहते हैं उसको हम मान लेते हैं।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : आपका अनुयायी नहीं था, कोई और था।

श्री जी० भा० कृपलानी : तो हम क्या करें भाई? लेकिन जहां सिर भी तोड़ा जाता है, लाठी चार्ज भी होता है, जहां सारा ऐडमिनि-स्ट्रेशन इकट्ठा हो जाता है वहां क्या एलेक्शन होगा? मैं आपको बताता हूं जब अमरोहा से मैं लड़ रहा था तो एक आदमी कांग्रेस का अनु-यायी था, वह हमारे बरखिलाफ पी० सी० सी० का चेयरमैन था। तो ऐसे ही चूंकि कांग्रेसमैन में हमारे दोस्त तो हैं ही, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। उसने कहा कि तुमको इतनी हिम्मत है कि जवाहरलाल के बरखिलाफ़ खड़े हो? मैंने कहा कि जवाहरलाल के बर-खिलाफ? जवाहरलाल तो यहां खड़ा नहीं है। यहां तो कोई और खड़ा है। ··· (**व्यवधान**) . . . खबर नहीं, कौन था? भाई मुझे मालूम नहीं है कौन था? तो हमको बता-

[श्री जी० भा० कृपालानी]

इए, जब ऐसा एलेक्शन हो, उसमें अगर कोई दल बदल दे और वह शराब पिला कर आया हो या किसी राजा महाराजा के मातहत आया हो, तो फिर उसको क्या करोगे ? उसको फिर वह राजा महाराजा दे देंगे ।

तो बात यह है कि इसकी दवा एक ही हो सकती है । वह यह कि हम अपने जो वोटर्स हैं उनको पूरी विद्या दें । खाली सिम्बल्स पर न चलें । नाम लिखा जाय । एक-एक आदमी का नाम लिखा जाय। फिर कोई न दे तो न दे । और बेवकूफ वोट न दे तो उसमें नुकसान ही क्या है ? यह कर दिया जाय । इससे क्या होगा वह आदमी पढ़ना लिखना भी सीख जायगा । उसे जोश होगा कि मुझे वोट देना है। यह जो सिम्बल रखा जाता है जिसमें आदमी का नाम ही नहीं और मैं यह भी कहता हूं कि यह जितने बड़े-बड़े पत्रे निकलते हैं, एलेक्शन मैनिफेस्टो, इनको वहां कौन पढ़ता है ? मैंने तो इसी वास्ते कोई मैनिफेस्टो निकाला ही नहीं ।

एक माननीय सदस्य : पार्टियां निकालती हैं मैनिफेस्टो ।

श्री जी० भा० कृपालानी : पार्टियां निकालती हैं लेकिन यह पार्टियां भी नहीं समझती हैं। मैनिफेस्टो है पांच पेज का या सात पेज का। और उन्होंने एक अक्षर भी पढ़ा नहीं, वह पांच पेज का मैनिफेस्टो कहां से पढ़ेंगे ? और मैनिफेस्टो तो होता है एक ही किस्म का सब का । पी० एस० पी० भी कहती है कि हम सोशलिस्ट हैं । एस० एस० पी० भी कहती है कि हम सोशलिस्ट हैं और कांग्रेस भी कहती है है कि हम सोशलिस्ट हैं । कम्यूनिस्ट भी कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं । यह नहीं कहते हैं कि हम डिक्टेटरशिप लायेंगे । वह कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के साथ बंधे हुए हैं और फिर जनसंघ भी कहता है कि हम हिन्दू सोशलिस्ट हैं। स्वतंत्र पार्टी जो है वह भी कहती है कि सोशल जस्टिस हम लाना चाहते हैं। वह भी सोशलिस्ट हैं। तो इनके मैनिफेस्टो में फर्क क्या है ? फर्क तो कुछ है नहीं । कोई भी कायदा करेंगे यहां कायदा कोई होगा ही नहीं जब तक इस देश को ऐसी विद्या नहीं आयेगी, वोटर्स को विद्या नहीं आयेगी, वोटर्स अपना हक नहीं जानते होंगे, अपनी ड्यूटीज़ नहीं जानते होंगे और जनरल ऐटमास्फेयर ऐसा हो कि जिसमें ऐसे अगर कोई खाली मिनिस्ट्री के वास्ते दल बदले तो उसकी पब्लिक ओपीनियन उसको कहे कि यह नहीं हो सकता, तब तक कुछ नहीं चलने का। इंग्लैंड में मैं समझता हूं कि सदियों में एक दफा कोई ऐसा केस होता है। अमेरिका में भी ऐसा ही है। यह जो कायदा आप करेंगे, आप कीजिए लेकिन, यह सब बातें आप लोग याद रख लीजिएगा कि यह आर्फन्स और विडोज़ को कौन निकालेगा ? और शराब पिलाने वालों को कौन निकालेगा । जो रुपये से आते हैं उनको कौन निकालेगा ? हम जानते हैं एक बड़ा अच्छा आदमी था कांग्रेस का ही था, कोई यंग मैन, मोरारका, उसने अच्छा काम भी किया लेकिन वह खत्म हो गया । उसने भी लाखों रुपया खर्च किया होगा लेकिन और ज्यादा लाखों रुपया खर्च कर के दूसरा आदमी आ गया और वह खत्म हो गया । क्या उसने काम किया क्या नहीं किया उसकी किसी को परवाह ही नहीं। तो यह भाई अन्धेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है । आप जानते नहीं हैं, अन्धेर नगरी में क्या होता था ? एक खूनी था। उसको लाया गया बादशाह के पास । बादशाह ने कहा ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। जल्लाद आधे घंटे के बाद फिर उसको ले आया और कहा कि यह जो फन्दा है यह उसके गले में नहीं आता है । तो बादशाह ने कहा कि ऐसा है तो जिसके गले में आता हो उसी को फांसी पर चढ़ा दो। तो यह बातें हमारे देश में चल रही हैं। ऐसी बातें दूसरे देशों में भी शायद होती हों ।

जब तक आदमियों का मारल टोन नहीं बदलेगा तब तक यह बातें चलेंगी । मारल टोन को बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

मैं कहता हूं कि हम जिम्मेदार हैं। हम जिन्होंने कि लड़ाई लड़के और तकलीफें देख कर के स्वराज्य हासिल किया, इसके लिए फैसला कर सकते हैं। जैसे लीडर होते हैं वैसे ही जनता होती है। जैसे नेता हैं चलाने वाले अन्धे वैसे ही उनके पीछे चलनें वाले हैं। बोथ विल फाल इनटू दि पिट। यह हमारा हाल है। आप कोई भी कायदा करें, लेकिन कायदा कहां चलता है, यह सरकार कोई भी कानून बनाये, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। चाहे अंग्रेज़ी को हटाइये, चाहे हिन्दी को लाइये, लेकिन जो कुछ ये करेंगे, वह गलती ही करेंगे, क्योंकि इनकी मन्शा ही गलत है। इनकी मन्शा सिर्फ यही है कि हम यहां बैठे रहें, चिपटे रहें—इसलिये एक दूसरे से क्यों लड़ते हो।

ये डिफेक्शंज़ क्यों होते हैं—डिफेक्शंज़ इसलिये होते हैं कि कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे रहें। अब जिस कांग्रेसी को कुर्सी नहीं मिलती है, वह कहता है चलो, दूसरी जगह चलें, वहां कुर्सी मिल जायगी। किसी आइडियोलोजिकल डिफरेन्स की वजह से कोई नहीं छोड़ता है। मध्य प्रदेश में जो हुआ, बिहार में जो हुआ—वे वही कांग्रेस के आदमी हैं, उसी थैली के चट्टे-बट्टे हैं।....

श्री शशी भूषण बाजपेयी : बड़े शर्म की बात है।

श्री जी० भा० कृपालानी : शर्म कहां आती है हम लोगों को। शर्म तो आती ही नहीं है। विनोवा भावे जी कहते हैं—श्रम दान करो, लेकिन हमारे लीडर कहते हैं—शर्म दान करो, वहां शर्म है कहां? यह डिजीज़ बड़ी रेडिकल डिजीज़ है, इसके लिये रेडिकल रेमिडी चाहिये। कन्वेन्शन तो आप बना ही नहीं सकते—जब तक कि सारी पार्टियों के लोग इस पर सच्चाई से न टिकें, तब तक कन्वेन्शन नहीं बन सकती।

"We should moralise and spiritualise politics. We have made a devilish mess of politics". I am sorry to say like that, in which we are all involved and unless the leaders and the people reform themselves.

जनता बेचारी क्या करे। जब उनको लीडर-शिप दो, तब वे चलते हैं। लीडर शिप के वगैर आदमी चल नहीं सकता—

They cannot be raised by their boots-traps unless the leaders.

जब तक लीडर्स नहीं चलेंगे, यह काम होने वाला नहीं है। यही आदमी जो महात्मा गांधी के कहनें पर अपनी जान देते थे, यही आदमी आज पांच पैसे के वास्ते दूसरे की जान ले रहे हैं—यह क्या हो रहा है? लीडरशिप खत्म हो गई है, लीडरशिप बेईमान हो गई है, फेथलैस हो गई है, विश्वासहीन हो गई है। हमारे लोगों को दुनिया इस तरह देखती थी कि ये वे लोग हैं, जिन्होंनें नान-वाइलेंस से स्वराज्य लिया, लेकिन आज वह सब खत्म हो रहा है। हम को तो रोना ही पड़ता है—वह रोना यहां रोते हैं, तब भी आदमी हंसते हैं, क्या करें?

श्री मधु लिमये (मुंघेर) : चेयरमैन साहब, वेंकटसुबैया साहब नें जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के पीछे जो भाव है, उस से मेरा झगड़ा नहीं है। वह चाहते हैं कि लोग अपना दल न बदलें, बिना प्रतिनिधिक संस्थाओं से इस्तीफा दिये वह न छोड़ें—तो भाव तो उन का ठीक है, लेकिन उस में कानून के द्वारा इस चीज़ को रोकनें की जो झलक मुझे दिखाई दे रही है, मैं मानता हूं कि यह सम्भव नहीं हो पायेगा। अगर वह इस तरह से कानून में परिवर्तन चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी संसदीय प्रणाली है, जिस चुनाव व्यवस्था पर वह आधारित है, उस में इन को परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे संविधान के अनुसार प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में देश को बांट दिया गया है और हर एक चुनाव क्षेत्र से प्रतिनिधि खड़े होते हैं और चुने जाते हैं। तो बहुत कुछ हद तक, जैसा कि आचार्य जी नें कहा—कुछ लोग चुनाव चिन्ह को वोट

[श्री मधु लिमये]

देते हैं । लेकिन इधर १५ सालों से बहुत सारी बातें बदली हैं और हम लोग देखते हैं कि अब लोग व्यक्तियों के आधार पर भी वोट देते हैं । अभी हम लोगों ने देखा कि नीचे किसी कांग्रेसी को वोट देते हैं, तो ऊपर विरोधी दल के आदमी को वोट देते हैं या इस से उल्टा भी होता है—तो इस का मतलब यह है कि हमारी चुनाव प्रणाली में व्यक्तियों और उम्मीदवारों का भी लिहाज मतदाता करते हैं । तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी के टिकट पर एक व्यक्ति जीत जाता है, अगर वह दल बदलता है तो इस पर कानून के द्वारा रोक कहां तक सम्भव है । अब अगर कोई नई चुनाव व्यवस्था आप जारी करते हैं और उम्मीदवारों के नाम के जो बक्से रखे जाते थे, उस की जगह पर हर एक दल के नाम का बक्सा आप रखते हैं और जो मतदाता हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दल वाले बक्से में अपना वोट डालता है तो बात दूसरी है । हर एक दल अपने उम्मीदवारों की सूची बनाये और जिस दल को १० प्रतिशत वोट मिलेंगे, उस दल के १० प्रतिशत उम्मीदवार निर्वाचित धोषित किये जायेंगे, ऐसी हालत में यदि कोई उम्मीदवार दल बदलेगा तो आप मना कर सकते हैं कि यह दल का वोट था और दल परिवर्तन के कारण अब उस को लोकसभा में या विधान सभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है । तो क्या वैंकटसुबैया साहब इस तरह से चुनाव पद्धति में कोई बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे कि प्रतिनिधियों का और उम्मीदवारों का चयन करने के बजाय, लोग अपना वोट दल को दे दें ? अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है तो इस के बारे में कोई वैधानिक या कानूनी इन्तजाम हो सकता है ।

दूसरी बात, जैसा आचार्य जी ने कहा—कभी-कभी सवाल आता है कि बदला कौन ? दल बदला या उस दल का सदस्य बदला ? उदाहरण के लिये मान लीजिये, आनेवाले चुनाव में या और किसी चुनाव में जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया कि राजाओं के निजी कोष और विशेषाधिकार खत्म करना चाहिये, ऐसा कार्यक्रम बनता है और उस पर उस दल की हुकूमत अमल न करे तो ऐसी स्थिति में उस दल का सदस्य कह सकता है कि चूंकि चुनाव घोषणा-पत्र में दिये गये आश्वासन की पूर्ति हमारी सरकार नहीं कर रही है, इस लिये उस दल से हम हट जाते हैं और अगर इस तरह के वैचारिक आधार पर या वचनों की पूर्ति न करने के कारण यदि कोई उस दल को छोड़ता है तो उस पर भी कानून के द्वारा रोक लगाना मुश्किल हो जायेगा । इस लिये सब से अच्छा तरीका यह होगा कि संविधान में प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का हम इन्तजाम करें ।

हमारी चुनाव पद्धति में यह जरूरी नहीं है कि हर एक जीते हुए उम्मीदवार को 51 प्रतिशत वोट मिलें । कभी-कभी ऐसा होता है कि पांच-छः उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो जिसको ज्यादा वोट मिलता है वह चुना जाता है ।

तीस प्रतिशत वोट पाने वाला उम्मीदवार भी जीत जाता है इस लिये वापिस बुलाने का अगर इन्तजाम आप करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 60 प्रतिशत की शर्त आप को रखनी पड़ेगी कि अगर 60 प्रतिशत मतदाता कहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, हमारे विश्वास को खो बैठे हैं तो उन लोगों को अपने प्रतिनिधि को वापिस बुला लेने की सुविधा होनी चाहिये । क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दल परिवर्तन इस वक्त जो चल रहा है यह दो किस्म का है । मध्यप्रदेश में जब हुआ तो उस दिन मैं भोपाल में था । मैं उस समय वहां की विधान सभा कक्ष में था और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मूसलाधार वर्षा हो रही थी और 8-10 हजार लोग हार लेकर जो कांग्रेस से टूट कर विरोधी दल वालों के

साथ वोट देने जा रहे थे, तो उन के स्वागत के लिय, हार और पुष्प गुच्छे लेकर, बाहर खड़े थे । लेकिन आज जो बंगाल में संयुक्त मोर्चा है उस से जब डा० पी० सी० घोष और उन के साथी टूटे तो यह बिलकुल साफ बात है कि जनता के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सके । वह अपना मुंह छिपा रहे हैं। आप पूछेंगे कि क्या आप इस बात को अच्छा समझते हैं ? नहीं, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दल परिवर्तन इस वक्त जब कांग्रेस से होता है तो जनता उस का स्वागत कर रही है और कांग्रेस विरोधी मोर्चों से या गैर-कांग्रेसी मोर्चों से जब लोग टूटते हैं तो इस परिवर्तन को जनता आज अच्छा नहीं समझ रही है । यह बात सही है क्योंकि मैंने यह भोपाल में देखा । मैं दल परिवर्तन कोई अच्छी चीज नहीं समझता लेकिन इस बारे में आम लोगों की भावना मैं कह रहा हूं कि 8,000 लोग मूसलाधार वर्षा में खड़े थे भोपाल में हार लेकर । लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पी० सी० घोष का स्वागत करने के लिये जनता कलकत्ते में खड़ी नहीं थी, इस लिये फर्क तो है ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि श्री वेंकटासुब्बैया का जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव के पीछे भाव तो ठीक है लेकिन वेंकटासुब्बैया साहब भूल जाते हैं कि कुछ बीमारियों का इलाज बीमारी के बहुत दूर तक फैलने के बाद नहीं होता है । बीमारी को होने ही न देना यह उस के लिये सब से अच्छा उपाय है । मसलन 1948 में जैसा कि आचार्य नरेन्द्रदेव नें कहा था—हम लोग सब से पहले कांग्रेस से अलग हो गये हैं—और जैसा कि उन्होंने कहा किसी कुर्सी की लड़ाई को लेकर हम अलग नहीं हुए । यह तो कोई भी मानेगा कि 1948 में पुरानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग जब कांग्रेस से अलग हो गये तो कुर्सी नहीं मिल रही थी इस लिये वह अलग हुए थे । निश्चय ही वह इस लिये अलग नहीं हुए थे । उनको कहा जा रहा था कि आप रहिये कांग्रेस में आप को कुर्सी भी मिल जायगी और आप की बातें भी हम सुनेंगे । लेकिन हमारे लोग अलग हो गये · · · · ·

▽

श्री शिव नरायण : आप की उम्र क्या थी ?

16.34 HRS.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री मधु लिमये : आप क्या जानते हैं ? मैं 16 साल से कांग्रेस में हूं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में हूं । मैं यह अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी के लोग जब अलग हो गये तो एक अच्छा लोकतांत्रिक आदर्श पेश करने के लिये आचार्य नरेन्द्र देव और उन के साथियों नें विधान सभा से इस्तीफा दिया, चुनाव लड़े, हारे भी लेकिन एक अच्छा आदर्श पेश करनें के लिये उन्होंने यह काम किया । उस वक्त कांग्रेस नें उन के खिलाफ बाबा राघवदास को खड़ा किया था जिनसे कि वह हारे । उस वक्त हमारी अपेक्षा थी कि कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य नरेन्द्र देव और उन के साथियों के द्वारा जो काम लिया गया था उस की इज्जत करेंगे, आदर करेंगे और ऐसी आचार संहिता तैयार करेंगे जिससे जो काम आचार्य नरेन्द्र देव और उन के साथियों ने किया वही सब लोग भविष्य में करेंगे । लेकिन यह हुआ नहीं । आज मुझे याद आ रहा है सुचेता जी अभी बैठी थीं, 1953 की बात है दादा हमारी पार्टी के चेयरमैन थे, मैं सेक्रेटरी था । आंध्र का मामला आया था। दिल्ली में ही हमारी राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई थी । मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उन की बात कर रहा हूं जो 17 साल तक स्वतंत्र देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, उन्होंनें आंध्र में प्रजा सोसलिस्ट पार्टी के आंध्र नेता, आंध्र केसरी श्री टी० प्रकाशम से यह कहा कि नया आंध्र राज्य बना है, मैं वेंकटासुबैय्या साहब, आप के राज्य की बात कर रहा हूं, यह अखबार वाले लिखते हैं कि उत्तर हिन्दुस्तान में ही दल परिवर्तन

[श्री मधु लिमये]

होता है । मेरा कहना है कि दल परिवर्तन ग्राप के राज्य में सब से बड़े पैमाने पर हुग्रा, मद्रास में हुग्रा ग्रौर केरल में भी हुग्रा । जब नया ग्रांध्र राज्य बना था तब ग्राप लोगों का बहुमत नहीं था । मेरी राय नहीं थी कि ग्राप के साथ कोई मिली-जुली सरकार बनाई जाय । मैं तो पहले से खिलाफ हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्राप के साथ कभी मिल-जुल कर काम नहीं हो सकता है । जब तक एकाधिकार शाही का घमंड ग्राप लोगों के हृदय में है तब तक ग्राप लोगों के साथ मिल कर काम करने का सवाल ही नहीं उठता । मैं इस के विरुद्ध था लेकिन ग्राचार्य जी ग्रौर दूसरे लोग हैं वह चाहते थे कि ग्रांध्र राज्य नया बना है ग्रौर स्थिरता के लिये ग्रगर जरूरी हो तो मिली-जुली सरकार बनाई जाये । इस के लिये राष्ट्रीय समिति इजाजत देने के लिये तैयार थी । लेकिन नेहरू साहब ने टी० प्रकाशम को क्या कहा ? नेहरू जी ने उन को कहा कि हम ग्राप को मुख्य मंत्री बनाने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि ग्राप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता को छोड़ दें ग्रौर कांग्रेस के सहयोगी सदस्य बनें । जब जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ऐसा काम कर सकते हैं तो फिर ग्रौरों की बात ही क्या है ? ग्रभी-ग्रभी नेतृत्व की बात उन्होंने की । गांधी जी के बाद सब से ऊंचा स्थान कांग्रेस में जवाहरलाल जी का था लेकिन जवाहरलाल जी ने खुद टी० प्रकाशम के बारे में इस तरीके का काम किया । हमारे दल में राष्ट्रीय समिति में इस की चर्चा हुई कि क्या प्रकाशम साहब को छूट दी जाये सदस्यता छोड़ने की तो इस का मैंने डट कर विरोध किया था ग्रौर कुछ नेताग्रों के साथ मेरा कुछ झगड़ा भी हुग्रा था । उसके बाद लगातार यह परम्परा चली । ग्रब सुचेता जी सदन में ग्रा गई हैं, मैं समझता हूं उन को 1953 की बात याद होगी जब टी० प्रकाशम को जवाहरलाल जी के द्वारा कहा गया कि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता छोड़ दें ग्राप को ग्रांध्र का मुख्य मंत्री बनाने के लिये हम तैयार हैं ।

ग्रसल में ग्रवसरवादिता ग्रौर सिद्धान्तहीनता का जो सिलसिला चल पड़ा था उस का सूत्रपात उस समय से हुग्रा है । इस लिये वेंकटासुबय्या साहब से मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्राज जो ग्राप प्रस्ताव ले ग्राये हैं वह प्रस्ताव क्या इसलिये नहीं ले ग्रा रहे हैं कि उत्तरप्रदेश में जो हुग्रा, मध्यप्रदेश में जो हुग्रा उस से ग्राप के मन में यह डर पैदा हुग्रा कि कहीं यह लोक-सभा में भी हो जाय तो ग्राप की सरकार टूट जायेगी ? वह हो या न हो लेकिन ग्राप के मन में डर है । ग्राज इस की ग्राप को चिन्ता होने लगी है । बाकी ग्राप ने स्वयं इसी दल परिवर्तन का सहारा लेकर जहां-जहां भी गैर-कांग्रेसी हकूमतें स्थापित हुई थीं उन को एक, एक करके खत्म कर रहे हैं । हम विरोधी दलों की सरकारों को ग्राप रहने कहां दे रहे हैं ? बंगाल में खत्म कर दिया, हरियाणा में खत्म कर दिया, पंजाब में खत्म कर दिया ग्रौर उत्तरप्रदेश ग्रौर बिहार में भी दल-बदल लोगों के जरिये ग्राप हमें खत्म करना चाहते हैं । मैं ग्राप से निवेदन करना चाहता हूं कि वेंकटासुब्बया साहब का जो प्रस्ताव ग्राया है उस के पीछे कांग्रेस पार्टी का कोई उच्च सिद्धान्त वगैरह नहीं है । क्योंकि जब इनको ग्रधिक वोटों की जरूरत नहीं थी तब भी ये लोग दूसरे विरोधी दलों को खत्म करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे । कोई दल नहीं बचा है, न हमारा दल बचा है, न प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बची है, न जनसंघ बचा है ग्रौर न ही कम्युनिस्ट पार्टी बची है क्योंकि चन्द्रजीत यादव जैसे सदस्य ने पार्टी से त्यागपत्र उत्तर-प्रदेश में दिया लेकिन इस्तीफा देकर कभी चुनाव नहीं लड़ा । इन के यहां मौलिचन्द्र शर्मा का किस्सा है । एक दिन ग्रविश्वास के प्रस्ताव पर जब बहस चल रही थी तो प्रधान मंत्री जी ने ताना मारा था कि क्या विरोधी दलों को संगठित करने का ग्रौर मजबूत बनाने का भी हमारा काम है ? उन का

ताना मारना तो ठीक है लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस दल परिवर्तन और अवसरवादिता को फैलाने का काम सब से बड़े दल ने और सब से बड़े नेता ने, उस दल के, किया ।

ठीक है । अगर पुराने इतिहास को आप भुला देना चाहते हैं और कोई नया रास्ता खोलना चाहते हैं तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उस में कानून की बात नहीं होनी चाहिये । आप आपस में बात करें और कोई रास्ता निकालें । लेकिन दल परिवर्तन के लिये कानून ही नहीं होना चाहिये । सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करने के लिय आचार संहिता चाहिये । राजनीतिक दलों को चन्दा कहां से आता है ? चुनावों में हिसाब किताब की बात भी इस में आती है । कई तरह की बातें उठेंगी । इन सब को किस तरह से रोका जाये, यह भी सोचना होगा । ये सब मामले हैं और अगर इन सब मामलों के बारे में कोई आचार संहिता या कोई आपस में समझौता करने के लिये आप लोग तैयार हों तो हम इस में पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ बात करने के लिये तैयार हैं बावजूद इस तजर्बे के कि पिछले बीस वर्षों में सार्वजनिक जीवन की धारा को जहरीला बनाने का काम आप के दल ने और आपके दल के बड़े नेता ने किया है ।

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : One from this side also should be called.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Every group was given an opportunity. Now it is too late.

SHRI NAMBIAR : From my party nobody spoke.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are very late on the scene.

SHRI NAMBIAR : Give me an opportunity as early as possible; just five minutes.

श्री नाथपाई (राजापुर) : हमारी तरफ से किसी का यहां भाषण नहीं हुआ है । हमने आपको चिट्ठी लिखी है । आप उसको देखिये । मिश्र जी भाषण करना चाहते हैं । उनको मौका देना बहुत आवश्यक है और आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है । उन्होंने यहां एक विधेयक रखा है इस सवाल को ले कर । उनको मौका देना जरूरी है ।

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, Acharyaji and Mr. Madhu Limaye also had in different ways raised fundamental issues, but I wish to make it clear that while supporting the resolution, it does involve us in deeper issues. (*Interruption*).

SHRI NAMBIAR : A person who has crossed has not got the right to speak !

SHRI BEDABRATA BARUA : A person who has not crossed the floor is now speaking. Now, Sir, it is a question of dissent also. It is not only a question of defection. One can dissent and it is due to dissension in world history that tides have turned. Mr. Churchil dissented with the leadership of the Conservative Party and it was a grave dissent.

AN HON. MEMBER : Mc-Donald

SHRI BEDABRATA BARUA : Not only McDonald. One can go from one end to the other. I cannot take the time of the House, but a lot of time of the House was taken by those on the other side. If it is a question of equality, then I need to be given a comparable time, compared to the time that was given to the other speakers on the other side of the House. The Law Minister on this side has also said that the Govermet is supporting it.

Now, the question of dissent is completely different from the question of defection or crossing the floor, because crossing the floor has been immoral, and when one crosses the floor the immediate necessity is to resign. That is the constitutional practice, and one does resign when one considers the issue fundamental. But here, the difficulties are there. One does not resign because the issues were varied. The whole country got divided on grounds of religion, language and other regional issues. The people themselves became grave dissenters. A multitude of dissenters crosses the streets of India. That is the reason that is making dissension

[Shri Bedabrata Barua]

or even defections fashionable. I cannot agree with Shri Madhu Limaye, with all the accusations that he makes—defection from the Congress party is more honourable or less dishonourable than defections from the Opposition. I am happy today he is more sober, after this party has suffered from defections, than some time ago. At that time he was full of glee and very pleased at the defections. He told me, the pattern of Indian politics is changing; the whole thing would require re-definition and so on. He expected things would go from bad to worse and the opposition would fatten at the cost of the Congress Party. Now all that has completely changed because of defections in his party.

Sir, I ask, where is the floor to cross? That is why the resolution needs to be discussed in greater detail and in a committee. There are Congress Governments and there are non-Congress Governments also. The direction of the Indian constitutional development is there will be a two party system....

SHRI NAMBIAR : Defection is one thing, but purchasing is another thing.

SHRI BEDABRATA BARUA : When 10,000 people will be there to greet a man who defects, I think that is enough price paid. When a man is greeted by 10,000 people along with an honourable office, it is no longer purchase; it becomes honourable ! What is the price and in what terms? In terms of money or honour or ideology or in terms of what ? A time comes in the history of man to stand up and say "I do dissent" when some ideas are welling up from inside. It happened with Socrates and others; history alone will show who was more correct.

All parties having middle-class intelligentsia, the intelligentsia get knocked out and lesser intelligentsia take their place. In that way, all parties tend to become a caucus. A man begins to revolt and that revolt acquires the nature of a dissent, because one goes against the fundamentals of a party. Even then, one cannot justify defection. But is it his duty to remain silent in the party when he finds something which goes against the fundamentals of his party ? Suppose the party belives in a classless society and you are playing up castes. If he has been there for 20 years, say, in that party, he has a duty every moment to give up all temptations, to stand up and say "I stand by the principles of the party". If dissent is sufficiently strong in the party, there would be no necessity to go and express his dissent outside.

Since this is a matter which affects all parties, it has to go to a committee to be discussed there. But this matter cannot be settled by legislation. I had discussed it with the mover and I wanted to propose an amendment, but for certain reasons, I could not do it. The resolution says,

> "The House is of opinion that a high level committee consisting of representatives of political parties . . ."

I wanted to substitute it by saying,

> "a committee consisting of representatives of all sections of the House . . ."

Then it goes on to say :

> "and constitutional experts be set up immediately by Governments to consider the problem of legislators changing their allegiance from one party to another . . ."

I wanted to substitute it by simply saying "changing their allegiance". Otherwise, this resolution may lead to fragmentation of parties. Suppose there are 24 MLAs and they divide into two parties. Who defects from whom ? It would become difficult. Then the resolution goes on to say :

> "and their frequent crossing of the floor in all aspects and recommends to the Government the volving of a special machinery and taking of effective measures by suitable legislation . . ."

Here I would like to say "by establishing acceptable conventions and if necessary by enacting suitable legislation". The terms of reference may be that it should not only go into the question of suitable legislation. Legislation cannot be always in place. It may not be always possible to legislate in matters because it may become, as I told this House when the discussion started, that it may lead to a legislator, who is a representative of the people, becoming a prisoner of the party whip. That is not something

which democracy desires. It is a question that ultimately there must be certain safeguards and that is why it cannot be under the Constitution. As Shri Limaye said, only parties are to be voted, but the question is that parties consist of individuals. So it would be more appropriate to have certain conventions and those conventions should guide the functioning of democracy, should have the acceptability and also should have certain enforceability into which matters only a high level committee can go into. With these words, Sir, I support the resolution.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, while supporting the resolution brought forward by Shri Venkatasubbaiah in its principle and in its wording, I will only request hon. Members of this House to look at this matter from the point of view not of any party interests, not of influencing the constituencies, but from the greater good of the country. That alone is necessary for considering such a matter.

This problem has been developing with us from the very inception of the Constitution and democracy. In the 1951-52 elections, three States—Madras, Orissa and PEPSU—found that the Congress did not have the requisite number to form ministries. All the same the Congress Party came to power somehow or other. The means are well known. I do not want to blame any party. But it becomes necessary to bring these facts because a bigger python was so far gobbling up smaller ones, but now one of the smaller snakes, as is usual in nature, is trying to gobble up a python. Both must be considered in a sober way. The process repeats itself. Therefore, it is necessary that both the Opposition and the Government should be sober while discussing this matter. It is not by mere alchemy that these Congress minorities in three States after the 1951-52 elections, in Kerala and Orissa after 1957-58 and in Madhya Pradesh and Rajasthan after 1962 were turned into majorities and the Congress Party still came to power. How ? What process was used by them ? What was their *modus operandi*? I do not want to say what others are saying. The general knowledge is that persons were somehow purchased. As Shri Limaye just now referred, even politicians of a very high order did not find any fault with this crossing of the floor. At that time the position was different, the python was very big and therefore the pinch was not felt by the python. Now the situation has changed. The democratic federal structure has really come to decided. Therefore, everybody is feeling like this. That is why I welcome Shri Venkatasubbaiah coming with such a resolution.

In this election what has happened. In three States although the Congress was returned in a majority, non-Congress governments are functioning and in one State where the Congress was returned in a majority the Congress government is functioning—I am referring to Rajasthan. The position has become such, this practice has been so great in magnitude and extent, that we know now that it is nothing but some corrupt motive that has made these people to cross the floors. It is well-known, as stated in this House by the Home Minister, that sometimes four times or six times the same member is crossing the floor, from this side to that side. Virtually, they are political acrobats, who do not stop by only going from one side to the other. They go, come back and again go, sometimes blundering into their own side also by crossing the floor. What is the motive of this ? It is very clear. They want office. It is for the lure of office that they go from this side to that.

One more example comes from Bihar. While going from this side to that side, somebody feels that he can somehow lead a group and go out and that, in that case, he can become the Chief Minister. That has been the sole motive of these people for crossing the floor. What else can it be ? It is nothing but corruption. If they are not taking money, it is power which they are after. It needs to be checked. This needs sobriety of thinking in the whole country.

Here I come to the question of the relationship of the person who is elected with the electors. There is an implicit contract between the voters, the citizens of this country, and the person who is elected. I do not agree with the hon. Member who was saying that we can change sides. No, we cannot. One can develop, one can change his views; that is welcome. You can change your views, stand for election again with your new changed views and then get

[Shri Srinibas Misra]

elected; that is welcome. But, after having been elected for some principles on a particular party ticket, to change your views overnight without getting re-elected is a crime. Because, therein comes your relationship with your voters. The voters are not your slaves. You have no right to get elected on some views or principles and then change your principles after election. You cannot do that. The relationship between the voters and the member who is elected is that of a contract as between a client and his lawyer. You have to look after their interests, because you have promised to do so at the time of the elections.

Shri Madhu Limaye was just now advocating that one can change his views because it is the personality of the person that has given him votes. How do you know that it is your personality and not the principles for which you stand and which you mentioned in your election manifesto are responsible for your success in the election ? What percentage of the votes do you ascribe to the personality and what percentage to your principles or election manifesto ? It cannot be divided that way. Once you go to the people and say "I am so and so; I will do such and such thing" the people rely on you and elect you. Once you are elected, you are their representative and not their matser. You cannot overnight change your principles for your interest or for the sake of a party; in fact, you cannot cross the floor for the sake of anybody, without getting re-elected. Therefore, just as a lawyer cannot go against the interests of his client, similarly, once a member is elected because he stands for certain principles, he cannot change his colour, the colour under which he won the election, unless he stands for re-election. It is immoral and it is a crime for a member to change his principles without standing for election again. He cannot change his principles unless he gets the sanction of the electorate by standing for election again; otherwise, he cease to be their representative.

Of course, Congress, is now trying to come round to the view that crossing the floor is not good. I do not agree with the view that because they have done something wrong in the past, even if they suggest something good, it should be thrown out. If there is something good in their suggestion, it must be accepted.

Once we admit that we believe in democracy we cannot say that we have been elected because of our personality. Once you believe in democracy and adult suffrage, you must give credit to the intelligence of the voters. They have got intelligence and they have voted you for your principles, and not for your personality.

17 Hrs.

SHRI K. RAMANI (Coimbatore) : Mr. Deputy-Speaker Sir, this Resolution is an important Resolution. It is more important because it has been brought forward by an hon. Member belonging to the ruling party, the Congress. I have got a doubt and, therefore, I want to put him a question; I think, the hon. Member will explain it afterwards. Is the Congress prepared actually to carry out the spirit of this Resolution ? Persons who cross the floor and overnight change their party affiliation must forfeit their right to represent the people. Is the Congress Party prepared to accept and implement such a thing ? I doubt very much if they will do that.

Our party did not accept this floor-crossing. The people must have the right to recall. That is what we have incorporated in our programme. If a person, who got elected by the people, changed his colour, betrayed the people and crossed over as he pleased, then that must be the line taken. What is the Congress Party going to do about that ?

I will squarely place the blame on the Congress Party for what all things are happening in this country. Some other hon. Members have explained it. In my State, Madras, what happened in 1952 ? Out of 384 MLAs, only 152 were there with the Congress but no less a person than Shri C. Rajagopalachari was nominated by the Governor and he was allowed to become the Chief Minister. Then he worked out a formula and actually made another party which opposed the Congress, to defect and won some 12 MLAs from Toiler's party by giving them ministerships. Is it not true ?

Who started this defection business from 1952 onwards ? In 1953 in the Travancore-

Cochin State there was a party, called Tamilnad Congress. It had nothing to do with the Indian National Congress. It got some eight seats or something and the Congress Party was in a minority in the Assembly. But they induced that party members to defect by giving them ministerships and set up the Congress Party ministry. Is it not inducing defection ? It was done by the Congress Party at that time.

Then, the hon. Member, Shri Madhu Limaye, has said what happened in 1954 in Andhra. Is it not a piece of history that Shri Prakasam, a veteran Congress leader, was actually induced to defect from the Opposition ? He was in the Opposition at that time. The Kisan Mazdoor Praja Party was there in the majority and the Congress Party was in the minority in Andhra. He was induced to defect; he defected and he became the Chief Minister. Then, who is the culprit ? I want to know that.

Now you are bringing forward this Resolution. I welcome it; it is a good Resolusion. But what has happened now —the latest thing of Dr. P. C. Ghosh ? What has the Congress Party done in Bengal ? Is it not having any connection whatsoever with it ? I have no time otherwise I could quote from what a leader of the Congress Party, no less a person than the Treasurer of the Congress Party, Shri Atulya Ghosh, has stated in New Delhi two days ago. He said that the Congress Party was ready to join the coalition and accept ministership. That is coming.

All these things very clearly show that the Congress Party is not prepared to allow any other Opposition party to come to office and exercise power. They actually want to cling to power and in one way or another topple any other Opposition party that comes into power. By giving office and by corrupting members of other political parties they have created a kind of political grasshoppers. Some Congress Members tried to explain that.

There are two fundamental questions. We should not mix those two. A person, who is in a party having a reactionary ideology and programme, may give it up to accept another progressive ideology and programme and join another party. We cannot call it the same thing as we call floor crossing for office, power, ministership, money and all these things.

Therefore, let the hon. Member explain to us how the Congress is going to finish this thing.

The other day, the hon. Home Minister also stated that he is prepared to sit with the Opposition parties and discuss it and have some conventions or, if necessary, have some kind of a legislation. I want to put one question to the hon. Home Minister. The Home Minister, did not find any difficulty in bringing forward a Bill like Unlawful Activities (Prevention) Bill. Whenever they want, they are prepared to bring forward any draconian law without consulting any other political party whatsoever. Is it very difficult for the Congress Party to bring in a legislation here to amend the Representation of the Peoples Act and give the right to the people for recall ? If there is the right to recall, then the Congress Party will see that it cannot exist in office and that it will have to go out. That is why the Congress Party is thinking of this kind of tactic. That is the doubt which should be cleared up by the hon. Minister and the hon. member who moved the resolution.

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome the Resolution moved by one of the important Members of the Congress Party and I am really happy that, after all, his Party has supported the Resolution. But I really do not know whether they mean business or not when we look to the history of this organisation to which I belonged—those were the days when I was in the organisation. A reference was made to what happened in 1952 in Madras. Shri Rajgopalachari who was a Minister in Delhi goes down to Madras to topple the Ministry which had been formed by the Andhrakesari, Shri T. Prakasam with the help of a sort of a communal party, making Shri Manaickavelu a Minister. These are the facts. That is what happened in 1952.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : He did not form the Ministry.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Anyway, he had a majority. I wish Shri Venkatasubbaiah had not butted in. Shri Rajgopalachari thought Shri Manaickvelu was nearer to him than Shri T. Prakasam. That is what happened. When people are talking of principles, the man of the status

[Shri Dattatraya Kunte]

of Shri Rajgopalachari should think of Shri Manaickvalu being nearer to him than Shri T. Prakasam only because Shri T. Prakasam was not in his party. That was a very unfortunate thing.

The same thing happened when Maharashtra was formed. Here is our Home Minister. He was at Bhatgarh where certain principles were laid down that floor-crossing should not be encouraged and he said, "I have formed a new State and, therefore, I will not be able to do that." It was really unfortunate. When a new State is formed, the Government which wants to run that State does not want to run it on party lines. This has really originated in 1946-47 when Gandhiji asked the then Congress, because it was a sort of anti-imperialist front, to form political party or parties. But for the reasons best known to them—late Sardar Vallabhbhai Patel and late Pandit Nehru did not see eye to eye on many major economic and social questions—they did it and formed a hotch-potch party. That is the present position. The Resolution talks of the party. Is the present Congress a party as such or is it a movement as late Pandit Nehru always called it ? Let it first come a party. If it becomes a party, then it will be able to answer the question properly. Even today, it is not a party. Otherwise, in 1967, they should not have tried to have antics in Gujarat and Rajasthan and allowed some members of the Opposition to come their house. They have absorbed some members of the Opposition. Let them explain the method and the manner in which those members were absorbed. If the Congress is really serious about it, whether all the other parties agree or not, before that Committee sits, the Congress Party should prove that by asking all those members who have joined the Congress after 1967 elections to leave the Congress and to carry on their Government with the help of their own members and if they are not able to carry on the Government, they should resign. Take, for instance, West Bengal. What sort of Government is there ? No doubt, Dr. P. C. Ghosh was an old follower of Mahatma Gandhi, but he was elected on an independent ticket. With whose help he is there now ? Mr. Harendra Majumdar and others were elected on the Bangla Congress tickets. What is the position in Punjab ? This is not the case today; in the past also, whenever the Sant Group was there or Akali Group was there, break those Groups and bring them nearer to Congress. I remember, late S. S. More, who in old times said, "Who is India's Mao"—that was the way he started talking—was humbled to become a member of the Congress and he dwindled into oblivion. Therefore, the attempts which the Congress Party....

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may conclude now.

SHRI NATH PAI : Is it a disapproval of what he said about Mr. More because you were a very close friend of Mr. More.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I just wanted him to conclude. That is all.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Therefore, the attempts which the Congress Party are making are not fair. It is really for the Congress Party, if it claims to be the largest Party and with a long tradition, to lay down proper traditions. First of all, they should change the page of their own history by asking all those defectors whom they had won over—by what method, I do not want to go into—to leave, by refusing to support them, whether in Punjab or in West Bengal. Let there be the Governor's rule or the President's rule in West Bengal, I am not interested. When we want to lay down a principle, let the Congress Party, first of all, clean its own house and then talk of a Committee....(*Interruptions*) In this country, if men like Rajaji does it, men like the Home Minister, who is supposed to be a great man in Maharashtra, does it, what happens ? So, first of all, the Congress Party ought to put its house in order. Whether this Resolution is passed or a Committee is appointed or not, if the Congress puts its house in order, it will set an example for the other people to follow.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठ कर जितने विरोधी दल के लोग अभी तक बोले हैं उन सबने कांग्रेस को गाली देने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। उन्होंने कोई ठोस सुझाव, रचनात्मक सुझाव नहीं दिया।

Napoleon was the greatest fighter of the world, Napoleon was the greatest Commander of the world.

उस नेपोलियन ने लिखा है :

"Those who will obey can give orders and those who will not obey cannot give orders."

यह जो मैंने नेपोलियन को कोट किया है उससे विरोधी दल वाले मित्र लोग मेरा तात्पर्य समझ गये होंगे।

श्री राजगोपालाचार्य कांग्रेस छोड़ कर गये, कुंटे साहब कांग्रेस छोड़ कर गये, श्री के० एम० मुंशी कांग्रेस छोड़ कर गये। श्री मधु लिमय यहां बैठे नहीं हैं, उनके लीडर आज स्वर्ग में हैं, डा० लोहिया साहब, वह डा० लोहिया कभी पी० एस० पी० में तो कभी एस० एस० पी० में रहे ... (**व्यवधान**) ... ज़रा सुनिये आप लोग अब मेरी कहने की बारी आई है। यह नमूना उधर के लोगों का देखने को मिलता है जबकि हम इधर कांग्रेस वाले हैं, हम में भी बुरे और भले हैं लेकिन We are running the Government with a majority of 50 votes. हमारी गवर्नमेंट मजबूत है और वह हम से सबक़ सीख सकते हैं। मैं भी उत्तरप्रदेश के डिस्सैंडेंट मैम्बर्स में से एक था जबकि वहां पर सम्पूर्णानन्द की गवर्नमेंट होती थी। मैंने आचार्य नरेन्द्र देव से सबक़ सीखा, कृपलानी जी इस समय हाउस में नहीं है उनसे मैने सबक़ सीखा लेकिन यह मेरा अटल निश्चय था कि चाहे कुछ हो जाये लेकिन मैं आप की तरह कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा बल्कि कांग्रेस के अन्दर रह कर अन्दर से ही उसे ठीक करूंगा और होम मिनिस्टर को ठीक करूंगा ... (**व्यवधान**) सुनिये साहब, नाथपाई साहब सुनिये। आप हमारा नमूना देखिये। मेरे लीडर उत्तरप्रदेश के सी० बी० गुप्ता ने कहा :

"We are not in a hurry to topple down the Government."

इसका सर्टिफिकेट होम मिनिस्टर साहब ने इस हाउस में दिया। 200 एम० एल० ए० आज हमारे उत्तरप्रदेश में हैं, मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। उनमें से एक डिफैक्ट नहीं हुआ। अरे साहब हम पंजाब नहीं हैं, हम महाराष्ट्र नहीं हैं, हम मध्य प्रदेश नहीं हैं, यह हम उत्तरप्रदेश के कांग्रेस वालों का नमूना आपको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ है, उस की जड़ है। सन् 42 की याद अभी भी ताज़ा है और यह बलिया कांड, और चौरीचौरा कांड यहां पर हुए ... (**व्यवधान**) शोर मचा कर मुझे आप लोग चुप नहीं करा सकते हैं। मैं अपने विरोधी दलों के भाइयों से कहूंगा कि वह महात्मा कबीरदास की यह बात याद रक्खें :

"कहें कबीर जब से चेतें तब से सही"।

यह भी क्या बात है कि अगर हम कोई अच्छा काम करना चाहें तब भी आपकी गाली सुनें और अच्छा काम न करें तब भी गाली सुनें ?

एक माननीय सदस्य : 20 वर्ष में क्या कहने हें आपके अच्छे काम करने के ?

श्री शिव नारायण : जियो बेटा।

एक माननीय सदस्य : "जियो बेटा" यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय वह हमारा भतीजा है जो अभी बोला। वह हम को चाचा कहता है इसलिए मैं उसको ऐसे बोला हूं। यह दल बदल को रोकने के लिए जो श्री वेंकटासुब्बया प्रस्ताव लाये हैं वह सही दिशा में एक क़दम है और जनतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे इसके लिए इस तरह की दल बदल और अवसरवादिता की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना ही चाहिए।

घबड़ायें नहीं हमारे नाथपाई साहब और दूसरे विरोधी नेता, हमें जनता पर विश्वास है और 6 महीने में हम हरियाणा में इन सब को देखेंगे। जनता अपना वर्डिक्ट देगी। मैं इस नौजवान को मान सकता हूं क्योंकि यह नया एलिमेंट है लेकिन वह जो पुराना एलिमेंट है

[श्री शिव नारायण]

जो यहां से कूद कर उस पार गया है उसका उपदेश हम मानने को तैयार नहीं हैं।

मैं श्री वेंकटासुब्बया का अनुगृहीत हूं कि वह यह प्रस्ताव लाये हैं क्योंकि डिफैक्शन उन्हीं के प्राविंस से शुरू हुआ। पी० एस० पी० वाले लालच में आकर चीफ़ मिनिस्टर के चंगुल में आ गये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि तुम क्यों उनके जाल में आये? अब यह तो शासन चलाने वाले की और होम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जैसे भी हो साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करके शासन चलाये। चाणक्य ने यही हमें उपदेश दिया है:

"शठे शाठ्यम समाचरेत।"

हम रूसी दलाल नहीं हैं, हम चीनी दलाल नहीं हैं, हम अमरीकन दलाल नहीं हैं, हम इस भारतमाता के सेवक हैं। श्री वेंकटासुब्बया यह जो प्रस्ताव लाये हैं यह एक सही दिशा में क़दम है और देशवासियों की जनतांत्रिक व्यवस्था में इससे आस्था क़ायम रहेगी। मैं कांग्रेस के नेताओं से और होम मिनिस्टर साहब से खास तौर से कहना चाहता हूं कि देश की बाग-डोर आज आपके हाथों में है और मुझे आशा है कि वह एक नयी रोशनी इस देश को देंगे। हम आपके फ़ालोअर्स हैं और हम सभी दल वालों के लिए एक आदर्श स्थापित करके दिखायेंगे। आज विरोधी दल वालों की ओर से हम पर बड़े-बड़े जुमले कसे जाते हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह महज गाली देने और क्रिटिसिज्म करने की आदत छोड़ दें। अभी भी समय है कि वह चेत जायें। सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो उसको भूला नहीं कहते। मैं श्री नाथपाई साहब से कहना चाहता हूं कि वह बड़े पंडित हैं शिवाजी के इलाक़े से आते हैं, वह ज़रा अपने सीने पर हाथ रख कर सोचें कि आपने क्या किया और हमने क्या किया है? उस दिन उन्होंने होम मिनिस्टर साहब पर बड़ा हमला किया लेकिन उनका वह अटैक ग़लत था। इतना कह कर मैं उनको छोड़ता हूं।

चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं और अधिक न कहते हुए इस रेजोलूशन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि होम मिनिस्टर साहब एक नया फ़ारमूला देश को देंगे। देश में जनतंत्र की नींव को मजबूत करेंगे जिससे लोगों की आस्था जनतांत्रिक प्रणाली में सदा बनी रहे और देश को इन आयारामों और गयारामों से नजात दिलायें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, it was quite an interesting and instructive debate, and in the course of the debate....

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : गृह-मंत्री महोदय जी बोलने जा रहे हैं और अभी एक उधर से डिफैक्शन हो गया। डा० राम सुभग सिंह इधर आ गये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please, let us be serious.

SHRI Y. B. CHAVAN : This question of defection has been discussed on the floor of this House on more than one occasion. Sir, I think, it is necessary to try to understand the precise meaning of 'defections' in the sense in which it is used now. 'Dissent', as was explained by my hon'ble friend, Shri Barua, is quite different from the 'defection' that we understand here. A person may, because of his deep convictions decide to leave one political party and join another. I think that that will have to be a part of a general pattern of political life. That cannot be even legally excluded because that will certainly impose a restriction on the fundamental right of changing one's own views.

SHRI NAMBIAR : Let him resign from the legislature.

SHRI Y. B. CHAVAN : Suppose tomorrow a political worker who is not a communist decides to become a communist tomorrow, or suppose a communist after mature thinking decides not to give his support to the communist party. This sort of thinking or this sort of change of views will have to be a part of a general political life. There cannot be any difficulty about it.

For, many of the political workers here, as I said last time, happened to be Congressmen in the beginning.

17.21 HRS.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

There is nothing wrong if they decide to go and form other political parties. There is nothing wrong about it. But the word 'defection' that we understand in the present context is with reference to people who fight elections with the support and on the platform of one political party for whose cause they plead and get elected, but later decide to leave that party and join some other political party with thereby disrupting the normal working of the political institutions like the government, the legislatures etc. That creates a sort of a solid obstruction in the working of the democratic institutions as such. This really speaking, is the problem that we are discussing.

Some hon. Members mentioned what happened in Madras. Possibly, you, Sir, know more about it than I do. There was also some reference to what happened in 1960 in Maharashtra when I was the Chief Minister there. Some Members did make a reference to that, and, therefore, I am just explaining that position.

My hon. friend Shri Dattatraya Kunte made a reference to a discussion that all political parties had held at Bhatkar. There, I had made it very plain to them. It was not done somewhere in a quiet corner without the knowledge of anybody or in a hush-hush manner. I put it as a proposition before them that when a new State after a mass movement had been formed there was a churning of the minds of the people and it was necessary, therefore, that the people must be given some right to readjust their political loyalties again. That proposition was not merely made by me but it was accepted by all of them. It was accepted by all political parties, that this certainly was the position in the State and people should be allowed to join the political parties which ....

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : न, न, मैं यह नहीं मानता हूं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : It is not a question of his accepting it.

श्री मधु लिमये : असल बात यह थी कि आप मानने के लिए तैयार नहीं थे । आपके साथी कांग्रेस वाले मानने के लिए तैयार थे, मगर आप नहीं थे ।

SHRI Y. B. CHAVAN : It is a matter of fact.

श्री मधु लिमये : यह तो मैटर आफ रिकार्ड है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I know it. Unnecessarily, my hon. friend is going into facts which are not relevant to the prsent situation. We have seen now that because of these defections governments have fallen and it appears that they will continue to fall. If some people make a doctrine that only those people who defect from the Congress are good people while those who decide to defect back to the Congress are bad people, that will be a sort of one-way traffic, and it shall not be allowed. I must say that I cannot commit my political party to a position where only defectors from the Congress Party would be allowed while others who want to go back to the Congress Party should not be allowed; I am not going to be a party to that. We are in a political game, after all; let us understand it. I do not want to be very goody-goody about this matter. We are all in a political game. Those who are in politics are in that game. Some people say 'Well, it is a matter of power'. Politics is not something which is completely devoid of power. Naturally, every party feels that power is something which they should hold with a view to implement their programme. It is not only for personal aggrandisement or personal interest. So, I cannot be a party to this that only the Congress will clean its house and others should continue to keep their unclean houses as they are. I was told by one Member that the Congress should clean its house. Certainly, we are prepared to clean our house, whether my hon. friends want it or not, and we shall certainly clean it when we decide to clean it. As far as I can see it is clean already. Many people have made it clean by defecting from it.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : आप दूसरों को समर्थन दीजिये । ऐसा करने का आपको अधिकार नहीं है कि दूसरे साफ करें । आप करेंगे तो हम भी करेंगे ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमारा घर हम क्लीन करेंगे और अपना घर आप करें। हम अपना घर क्लीन करें और आपका गंदा रहे तो यह ठीक बात नहीं है।

श्री मधु लिमये : आपने शुरुआत की, इस लिये पहले आप करें, फिर हम भी करेंगे।

SHRI Y. B. CHAVAN : Instead of पहले आप, पहले आप it is much better that all of us do it simultaneously. That is, really speaking, the proposition in the Resolution. There is no doubt that the dissensions that are taking place now are threatening to disrupt our present democratic way of life, bacause they are bringing about uncertainty in the minds of people at large; they are introducing an element of instability in the administration. If this is not arrested, a time would come when our entire people would be completely disillusioned about the democratic way of life itself. That is the danger, because it is not merely betraying of one political party; it is ultimately betraying the people whom the member of the political party concerned approached.

Therefore, the time has come for a joint discussion. If hon. Members are prepared to sit with me, as I said last time, I am prepared to take the initiative. I think this is the proposal contained in the Resolution. So, when I saw it I thought I should accept it and create a forum where these questions can be very thoroughly examined and considered.

Reference was made to what Rajaji did. Later on Rajaji became the leader of another very important political party. What is the use of going and blaming Rajaji or anybody else?

Shri Ram Sewak Yadav : Nearer to you.

श्री मधु लिमये : उस वक्त कांग्रेसी थे।

SHRI Y. B. CHAVAN : What Rajaji did when he was a Congressman was not good and what Rajaji does when he is not now is good—if that is the standard, I am not prepared to accept it.

श्री एस० एम० जोशी : इस लिये यह सवाल ठउा कि आपकी तरफ से लोगों ने यह कहा कि तुम लोग कर रहे हो। लेकिन जड़ आपके यहां है।

SHRI Y. B. CHAVAN : I do say that this is being resorted to by all political parties. I am not talking of any one political party as being responsible for it. 20 years before something happened in political life and Congressmen did it. But what was the position in political life 20 years ago? It was all Congress.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अधिकतर कांग्रेस।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : इसी वर्ष राजस्थान में आपने शुरुआत करवाई।

SHRI Y. B. CHAVAN : Shri P. V. Shastri says it was mainly Congress. What can be done about it? That is not something that can be resented.

श्री रबि राय (पुरी) : इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री ए० के० किस्कु को जो कि बंगला कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आये थे आपने अभी चार दिन पहले डा० पी० सी० घोष की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनाया है।

SHRI Y. B. CHAVAN : That is exactly what I am saying. As long as there is no understanding amongst all political parties, if you expect only the Congress Party to do something about it, it is difficult to agree. I have made that position very clear. If you expect that you will go on doing it and Congressmen will remain watching as helpless spectators, that is not being realistic.

श्री रबि राय : आप करवा रहे हैं।

SHRI Y. B. CHAVAN : 20 years ago, it was all Congressmen. That was our political life. Now there is diversity of political parties. Now that other political parties are also there, there is no use of saying that they are helpless. As they have also governments in many States run by them, it is much better that all of us sit together in some forum, consider all these things and decide what we do in the future.

SHRI S. M. BANERJEE : Why do you support a defector now? You seem to be straight forward.

SHRI RAM SEWAK YADAV : You are not.

SHRI S. M. BANERJEE : The UF Opposition Government in West Bengal is not there now. Why do you support a person who is not a Congressman at all. You are supporting a man who has defected from the Opposition. That is the charge against you.

SHRI S. M. JOSHI : He says it is in the political game.

SHRI S. M. BANERJEE : However respectable he may be, he has only 17 members with him.

SHRI Y. B. CHAVAN : I have said it very clearly. Shri Limaye's thesis is, 'let us cut the Congress to proper size'. I do not know what that size is.

श्री मधु लिमये : एकाधिकारशाही खत्म हो ।

SHRI Y. B. CHAVAN : If that is your intention, you cannot expect me not to cut the size of your party to proper size.

He said I seem to be straight forward. I am always straightforward.

SHRI S. M. BANERJEE : Your amendment is accepted.

SHRI Y. B. CHAVAN : So, the question is, if we talk of defection which is threatening to be an institution, which, really speaking, in its own turn, is threatening to disrupt the democratic way of life in the country, is it not time for all the political parties to sit in some forum and discuss and evolve agreed some solution?

DR. KARNI SINGH (Bikaner) : It is a good idea.

SHRI Y. B. CHAVAN : Therefore, I entirely welcome this motion, but I would also make a request to the mover, that he may accept the amendment of Shri Bedabrata Barua, because it suggests that we may also think of some other conventions, and if necessary, legislate in the matter. It is a good thing, because it is no use merely thinking in terms of legislation straightaway. If all the political parties think that this can be done by some other methods also, I think there is nothing wrong about it.

So, I welcome his resolution, but if he accepts the amendment of Shri Barua, I will be happy.

श्री मधु लिमये : मेरा अमेंडमेंट मान लीजिये, वह ज्यादा अच्छा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : अपोजीशन का अमेंडमेंट मान लीजिये, मिला-जुला बनाइये ।

DR. KARNI SINGH : On a point of clarification, I wish to know if the hon. Minister, in view of what he said that we should sit round the table, proposes to reopen the case of Rajasthan, because all the defections started there, and hold mid-term elections in Rajasthan?

SHRI Y. B. CHAVAN : Who am I to reopen the case of Rajasthan, U.P. or Madhya Pradesh?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I thank the hon. members and the hon. Minister who participated in the debate on this resolution. I also carefully listened to their various suggestions, including their allegations against the Congress Party. I do not want to go into all those things. As the hon. Minister has pointed out, that was a stage when certain things happened in the State of Madras or in newly formed Andhra.

One thing I want to make clear. When we think of defections, as the hon. Minister has pointed out, it referes to defections concerning legislators who have been elected on a particular party and symbol, and who then change their loyalty and allegiance, causing instability and also undermining the parliamentary democratic system.

I would also point out to the hon. House that if a member, to whichever party he belongs, has got anything against the policy or the programme pursued by his party, he has got every right to put forward his views on that matter in the party meetings or at the organisational level. A political party does not consist only of legislators. Political parties, as they have come into being in our country, also consist of the organisational setup, and the local people, workers etc. who work for the spread of the ideology of the particular party. So, party consists not only of the legislative wing, but also the organisational wing where

[Shri P. Venkatasubbaiah]

all these people sit together, and select a particular candidate to contest from a particular constituency. It is happening not only in India, but also in other democratic countries like U.K. and USA.

I do not mention about the Conservative Party, but the Labour Party of U.K. has come out of a movement where they have got the legislative as well as the organisational wing.

So, if a member differs, he has got every right, though in a minority, to convert the majority to his opinion in the organisational set-up and in the party meetings as is being done by other political parties.

When I mention defection, defection means it is confined to a particular verdict that is being violated by a particular Member when he gets a clear verdict from the electorate. I do agree that at the time of the elections, as Mr. Madhu Limaye pointed out, the electorate exercises its discretion not purely on a political basis or on a symbol but on certain likes and dislikes, but that will not happen more frequently. For example, I do not like to mention it—it happens in the case of several other Members in Parliament as well as in the Assemblies. In my own case also, as you know, in my parliamentary constituency, four out of seven Assembly Congress candidates had been defeated, but yet I could get elected with a huge majority of 1,70,000 votes. But here, these things happen very rarely. But if we go by a party mandate or by an election manifesto, by the symbol, we should not make a mockery of the intelligence of the electorate as our respected Acharya Kripalani wanted to. He said–I must also, as secretary of the Congress Party should explain it—that Congressmen are sending their widows and children; whether they are widows or children, they have to go to the electorate and get their verdict. So, if Acharya Kripalani mentions that, he is not respecting the sentiments of the electorate also; he is not respecting the democratic set-up in our country.

Several hon. Members had made certain suggestions. Mr. Madhu Limaye especially spoke about the undesirability of mentioning a suitable legislation. There is a great force in his argument. The main purpose of my bringing this resolution before the House is, it is not as though it should be accepted by a majority of Members through a vote here. It should have all-round. unanimuous support of every Members of this hon. House, and then only it will have its force and then only we will be able to do something in arresting this menace in parliamentary democracy.

As the Home Minister has rightly pointed out, as the biggest political party in this country, I also feel that it is the duty of the Congress and the Congress party that we initiate this procedure so that we can cleanse the unhealthy trends that are creeping in in our democratic institutions.

SHRI NAMBIAR : What did they do in West Bengal? It is a political doing.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Mr. Nambiar, when he mentions about Bengal, is twisting the whole situation there. I do not want to go into all those questions. *(Interruption)*

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : We are all sailing in the same boat.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I agree with Acharyaji when he says that we are all sailing in the same boat. There should be a certain moral standard set-up. It is not as though morality is the monopoly of the Opposition parties, nor is it the monopoly of the Congress party alone. A sort of moral or political degradation has set up in our political life. How best to arrest it and cleanse all these undersirable elements is the problem not only before the Congress party but also before every other political party. We should transcend the political barriers, and should not rigidly think of scoring a point over the others or try to cut Congress to size or the Congress trying to cut other parties to size. These are all matters which should be subordinated to our feelings for coming to a reasonable agreement to see that parliamentary democracy survives in this country; not only survives but survives effectively.

That should be our motto. In this light I have brought this resolution, and I once again thank hon. Members for having offered their useful suggestions. I agree

with the hon. Home Minister's suggestion to accept the amendment moved by Shri Bedabrata Barua.

In that amendment he has said that if the committee feels that suitable legislation is necessary, then it may be considered. I have no objection to accept this amendment.

MR. SPEAKER: Before the amendment, there are two other amendments one by Mr. Yashpal Singh and another by Mr. Limaye. I will now put Mr. Yashpal Singh's amendment No. 1 to the House.

Amendment No. 1 *was put and negatived.*

MR. SPEAKER : Now, Mr. Limaye's amendment.

श्री मधु लिमये : मैं आप से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं । मेरी तरमीम अगर मन्जूर होती है, तो प्रस्ताव की शक्ल क्या रहेगी— यह जरा सदन को बता दीजिये, जिससे मैं समझता हूं कि वह उस को मान लें ।

एक माननीय सदस्य : वह तो मेम्बरों को पता है ।

श्री मधु लिमये : नहीं, पता नहीं है । इसीलिये चाहता हूं कि पढ़ा जाये ।

MR. SPEAKER : I will read Mr. Limaye's amendment. It says,

That in the resolution,—

for "recommends to the Government the evolving of a special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation to arrest this growing phenomenon which is assuming alarming proportions so that the country can function on sound and healthy lines of parliamentary democracy".

Substitute "make recommendations in this regard." (3)

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है । जब यह प्रस्ताव सदन के सामने आया था, उस समय श्री खाडिलकर जी उपाध्यक्ष थे । उस समय कुछ कांस्टीचूशनल अड़चनें उठाई गई थीं और कहा गया था कि इस रेज़ोल्यूशन को जिस तरीके से मूव किया गया है, वेंकटासुबैया साहब ने जिस तरह से रखा है, हो सकता है कि उससे हमारे संविधान की कुछ धाराओं के साथ झगड़ा हो । उस वक्त उन्होंने कहा था कि यह जो प्रस्ताव आ रहा है, इसको वेंकटासुबैया साहब खुद ही रद्दोबदल करके रखेंगे, लेकिन उन्होंनें उसको एमेण्ड नहीं किया । तब हमने सोचा कि इस प्रस्ताव को अगर मानना है तो अमेण्डमेंट करके माना जाये । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री जी इस को केवल इस लिये रिजैक्ट न करें कि यह मधु लिमये के पास से आया है, विरोधी दल से आया है । चूंकि उपाध्यक्ष महोदय नें कहा—इसीलिये हमने उसको मूव किया था । मेरा अनुरोध है कि वे इसको मान लें ।

श्री मधु लिमये : इस में आपको क्या आपत्ति है । कमेटी को हमनें बांध नहीं रखा है, उनको सिफारिश करने की पूरी आजादी है । लेजिसलेशन का उल्लेख क्यों करना चाहते हैं, जब हम बातचीत के जरिये करना चाहते हैं । फिर भी कमेटी देख लेगी और जरूरत समझेगी तो सिफारिश करेगी ।

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER : I agree with you; there is no need for point of order.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Sir, I want to make one submission. Reference has been made more than once to Shri Barua's amendment. As far as I am aware it has not been formally brought to the notice of the House during the time given for moving amendments. The Mover of the Resolution and mover of the amendment cannot come to an agreement on this.

MR. SPEAKER : That is not denied by them. I have myself said that due notice has not been given. That we will take up when we come to that.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Even if one Member objects it cannot be admitted. It is not a question of agreement on this.

MR. SPEAKER : I technically you want to object you have that right. There is no denying that fact. I thought it was an agreed amendment.

SHRI NAMBIAR : Sir, very often resolutions loosely worded are coming and without reference to the rules of procedure these are admitted, and they are being discussed. That way we are creating a lot of precedents. Only yesterday I pointed out one thing. Today this is another thing. Day by day this is going on and what is going to happen is that there will be no rules of procedure and then nothing could be done. I would, therefore, request them to accept this amendment.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, I have no objection in accepting the amendment moved by Shri Limaye.

MR. SPEAKER : On your recommendation, Shri Nambiar, they have accepted Shri Madhu Limaye's amendment. I shall put it to the vote of the House. The question is:

That in the resolution,—

for "recommends to the Government the evolving of a special machinery and the taking of effective measures by suitable legislation to arrest this growing phenomenon which is assuming alarming proportions so that the country can function on sound and healthy lines of parliamentary democracy".

substitute—

"make recommendations in this regard". (3)

The motion was adopted

MR. SPEAKER : I shall put the resolution as amended to the vote of the House. The question is:

"This House is of opinion that a high level Committee consisting of representatives of political Parties and constitutional experts be set up immediately by Government to consider the problem of legislators changing their allegiance from one party to another and their frequent crossing of the floor in all its aspects and make recommendations in this regard."

The motion was adopted.

17·48 hrs.

RESOLUTION RE: IMPLEMENTATION OF SAHIBINADI SCHEME

SHRI GAJRAJ SINGH RAO (Mahendragarh) : Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"This House is of opinion that, with a view to provide irrigation and drinking water facilities to backward areas of Haryana (Rewari and Jhajjar Tehsils) and Alwar District of Rajasthan and in order to avoid constant flooding of Najafgarh area of Delhi State and damage to Railway line (meter gauge), implementation of Sahibinadi scheme (raising Bunds etc.) is of urgent necessity and importance and urges upon the Government its speedy completion and effective utilisation."

MR. SPEAKER : He may continue his speech next time. We may take up the half-an-hour discussion.

17·49 hrs.

*RELEASE OF EMERGENCY COMMISSIONED OFFICERS

DR. KARNI SINGH (Bikaner) : Mr. Speaker, Sir, the entire nation has been exercised and upset by the stand taken by the Government to release thousands of Emergency Commissioned Officers from the armed forces. I am glad that the House will have an opportunity to discuss this very important matter that is affecting the minds of not only the officers in our armed forces who have fought bravely for the country but also Members of Parliament here who feel very strongly on this matter. I must say that the armed forces, our brave boys who have enrolled in the army, navy and air force, to defend the vast frontiers of this country have from time to time received a raw deal at the hands of the Government.

I shall take you back 17 to 20 years when, at the time of the integration of the Indian States, the former State Forces were merged into the Indian Army. At that time, the officers and men of that service, who were as good as anybody else in the Indian Army, had 25 per cent of their services taken away, and that effected their seniority considerably.

---

*Half-an Hour Discussion.